तृतीय माला, खण्ड १०—अंक १८

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९६२
९ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
P 25
18
1-62

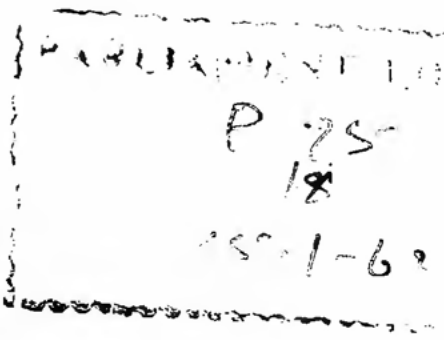

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६७७
सभा का कार्य १६७७–७६
अविलम्बनीय लोक महत्व क प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . १६८१
कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेकयक . . . १६७६-८०,१६६०-६५
विचार करने का प्रस्ताव—
श्री ह० च० सौय १६७६–८०
श्री रा० गि० दुबे १६८०–८१
श्री मुहम्मद इलियास . . १६८१
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा १६८२
श्री कछवाय १६८२–८४
श्री रा० शि० पांडेय . . . १६८४–७६
श्री बैरवा कोटा १६८३–८७
श्री स० मो० बनर्जी १६६०–६१
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन १६६१–६३
खंड २ से १२ और १ . . . . . . १६६४–६५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् १६६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —
भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर पर वार्ता . . . १६८७–६०
बहुएकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक . . . १६६५–६८
विचार करने का प्रस्ताव
श्री श्याम धर मिश्र १६६५–६६
श्री गौरी शंकर कक्कड़ १६६६
श्रीमती सरोजनी महिषी १६६६
श्री शिवमूर्ति स्वामी १६६६–६७
खंड २, ३ और १ . . . . . १६६७–६८
पारित करने का प्रस्ताव :
श्री श्यामधर मिश्र

[शेष पृष्ठ ३ पर देखिये

लोक सभा

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९६२

९ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, श्री दातार की ओर से मैं सभा-पटल पर भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६२, की एक प्रति, जो दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५८३ में प्रकाशित हुई है, सभापटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६२३।६२**]

सभा का कार्य

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं ३ दिसम्बर, १९६२ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(१) आज की कार्य सूची में बाकी विषय, यदि कोई हो, पर विचार ।

(२) श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२ अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६२ मनीपुर (मोटर स्प्रिट तथा स्नेहन तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक, १९६२ दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण विधेयक, १९६२ पर विचार और उन्हें पारित करना ।

(३) बड़े पत्तन प्रयास विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार ।

(४) व्यक्तिगत धाव (आपातकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९६२ ।
वस्त्र समिति विधेयक, १९६२ ।
भारतीय प्रशुल्क । (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

†मूल अंग्रेज़ी में

2416 (Ai) LSD—2.

[श्री सत्य नारायण सिंह]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन), विधेयक १९६२, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में । पर विचार और उन्हें पारित करना ।

(५) केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियम, १९६२ में रूपभेद के प्रस्ताव पर विचार, जिसकी सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दी है ।

(६) शिशिक्षुता नियम, १९६२ में रूप-भेद के प्रस्ताव पर विचार, जिसकी सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दी है ।

(७) भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार तथा उसे पारित करना ।

(८) मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९६२ को ३ म० प० श्री हरिश्चद्र माथुर, द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर श्री वी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा तैयार की गई भारतीय और राज्य प्रशासनिक सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्याओं सम्बन्धी रिपोर्ट, पर जो ७ सितम्बर, १९६२ को सभा के पटल पर रखी गई थी, चर्चा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : चीन द्वारा भेजे गये टिप्पण पर चर्चा के लिये समय दिया जाना चाहिये ताकि चीन सरकार द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण को सभा पटल पर रखा जा सके ।

एक ऐसी संसदीय समिति बनाने की भी आवश्यकता है जो अन्तरावधि में प्रधान मंत्री और सरकार से सम्पर्क रख सके। इस समिति के माध्यम से युद्ध की स्थिति और तत्सम्बन्धी विषयों के बारे में सम्पर्क रखा जा सकेगा ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के बारे में मोशन था। उसके बारे में मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, और उस समय यह विश्वास दिलाया गया था कि अगले सेशन में वह आयेगा । दूसरा एक मोशन निर्णयों के बारे में मंजूर हुआ है । ये दो अहम मोशन हैं जो इस हफ्ते में आने चाहिये ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : श्री कामत द्वारा प्रस्तुत सुझाव के बारे में मेरा निवेदन है कि इन परामर्श दात्री समितियों की प्रक्रिया पर्याप्त सहायक सिद्ध नहीं हुई है । इन में बहुत कम समय मिल पाता है । संयुक्त प्रवर समितियों और प्रवर समितियों की भांति कुछ ऐसी प्रक्रियाविकसित करनी चाहिये कि उससे अधिक सन्तोष, अधिक यथार्थता और अनुशासन तथा अधिक परिणाम उत्पन्न हो सके ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरे सुझाव हैं कि चीनी सेनाओं की वापसी प्रारम्भ होने पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य और फिर उस पर चर्चा करने के लिये समय नियत करना चाहिये । दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कीमतों के बारे में है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कीमतों सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस अधिवेशन के दौरान चर्चा होगी । माननीय संसद्-कार्य मंत्री ने कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : श्री रंगा का सुझाव सर्वथा नवीन है ।

†**वित्त और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : परामर्शदात्री समिति पहले से ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हैं। माननीय संसद्-सदस्य कार्य मंत्री इस विषय में प्रतिक्रिया मालूम कर हमें बतायें ।

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री चे० रा० पट्टाभिरामन द्वारा २९ नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी ;

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री ह० च० सौय : अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि जो मज़दूर सीमेंट के कारख़ानों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं, उन को सीमेंट की धूल के बीच में रह कर काम करना पड़ता है। इस के अलावा सीमेंट के लिए लाइम निकालने के लिए जो मज़दूर खानों में काम करते हैं, उन को भी धूल और लाइम की डस्ट में काम करना पड़ता है । इस वजह से इन के मज़दूरों में टी० बी० का इन्सिडेंस बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराए कि क्या इस को भी आकुपेशनल से डिज़ीज़िज़ की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है या नहीं ।

इसी तरह से बीड़ी–मज़दूरों की भी यही हालत है। देहातों में बीड़ी–मज़दूर बड़ी दयनीय हालत में काम करते हैं। उन को सिर्फ़ डिवरी या लाल्टेन का प्रकाश मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ज़रा बैठ जायें। हाउस में सब तरफ़ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हो रही हैं, इस लिए पहले उन को सुन लेना चाहिए ।

श्री ह० च० सौय: मैं कह रहा था कि बीड़ी-मज़दूरों को जिस हालत में काम करना पड़ता है, उस से उन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मैं चाहता हुं कि इस बारे में भी जांच की जाये ।

काइनाइट एक ऐसी चीज़ है, जो कि गर्मी के दिनों में बहुत सख्त गर्म हो जाती है । जब मज़दूर काइनाइट पत्थरों के टुकड़ों को हाथ से पकड़ते हैं, तो वे उन के हाथों में घुस जाते हैं। यह देखा गया है कि जो मज़दूर यह काम करते हैं, उन को इस भयानक गर्मी और काइनाइट टुकड़ों से एक ख़ास तरह की बीमारी हो जाती है। इस लिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन मज़दूरों के बारे में भी जांच की जाये और यह पता लगाया जाये कि इस को भी आकुपेशनल डिज़ीज़िज़ की लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है या नहीं ।

आज-कल रेलवेज़ में और डैम्ज़ वग़ैरह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। यह देखा गया है कि रेलवे के मज़दूर बहुत कम मजदूरी पर सब से बड़ा काम करते हैं, मगर उन्हें जान-बूझ कर टेम्पोरेरी रखा जाता है । इस वर्कमैन्ज़ कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत केवल उन्हीं मज़दूरों को कम्पेन्सेशन मिलेगा, जो कि पर्मानेंट होते हैं और उन को एक विशेष तरीके से कम्पेन्सेशन दिया

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ह० च० सोय]

जायेगा । इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि उन टेम्पोरेरी मजदूरों को, जो कि रेलवेज वग़ैरह में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पर्मानेंट किया जाये, ताकि उन्हें भी उचित कम्पेन्सेशन मिल सके ।

यह देखा जाता है कि कम्पेन्सेशन के मामलों पर जो कम्पेन्सेशन आफ़िसर विचार करते हैं, वह अक्सर ज़िले में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं । आप जानते हैं कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी नार्मल ड्यूटीज़ और दूसरे कामों की वजह से काफ़ी बिज़ी रहते हैं। इस वजह से कम्पेन्सेशन के केसिज़ का फ़ैसला करने में काफ़ी देर हो जाती है । उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि हमारे सिंहभूम ज़िले में कम्पेन्सेशन के इतने ज्यादा पेंडिंग हैं कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर का काम करता है, उन को कर नहीं पाता है । इस लिए मेरी दरख्वास्त है कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर की पोस्ट पर एक अलग आफ़िसर को नियुक्त करना चाहिए और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत बिज़ी रहता है ।

हम देखते हैं कि बहुत से ग़रीब आदमी कम्पेन्सेशन के अपने केस दायर करते हैं, लेकिन अपने केस को ठीक तरह से रखने के लिए वे वकील को पैसा नहीं दे सकते हैं । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा भी है, उन लोगों को जो कम्पेन्सेशन मिले, उस का कुछ हिस्सा उन को तुरन्त मिलना चाहिए । मैं यह भी सुझाव दूंगा कि ग़रीब से ग़रीब क्लास के लोगों को गवर्नमेंट लीगल एड दे, ताकि वे ठीक तरह से अपने केस को चला सकें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिंहभूम में जो इतने ज्यादा कम्पेन्सेशन के केसिज़ पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन के बारे में जांच की जाये और उन को जल्दी डिस्पोज़ आफ़ करने का प्रयत्न किया जाये ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस अमेंडमेंट को ला कर जो कदम उठाया है, वह एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को इस पर ही संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि अन-आरगनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ में और कई दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी जो इस तरह की आकुपेशनल डिज़ीज़िज़ हैं, उन की जांच की जानी चाहिए, ताकि वहां काम करने वाले मज़दूरों को भी कम्पेन्सेशन का फ़ायदा मिले ।

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर) : मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । हम लोक कल्याण राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करना है । अतः स्वाभाविक है कि हमारे सब कानून उसी दिशा में प्रवृत्त हों । इस विधेयक में प्रतिकर की दरें और बीमारियों की कुछ किस्में सम्मिलित हैं । कुछ समय पहले मैंने मैसूर राज्य में डंडेली टाउनशि जदेखा था। वहां फैक्टरी में कुछ विशेष प्रकार के रोग फैले रहे हैं। वहां फैरो-मैंगनीज कारखाना है और वहां एक खुली भट्टी है। उसके लिये वहां कोई ढकना नहीं है । इससे वहां श्रमिकों के शारीरिक अंगों में पक्षाघात होने लगा है । तत्कालीन श्रम मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम भी वहां गये थे । मैं नहीं जानता कि क्या इस प्रकार की स्थिति भी वर्तमान विधेयक के अधीन शामिल की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बगलकोट में बीजापुर में सीमेंट फैक्टरी है। वहां धुंआं सर्वथा अनियंत्रित, अनवरुद्ध और निरन्तर गति से उत्पन्न होता रहता है । समीपवर्ती क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है । पश्चिम के देशों में भी यह समस्या विद्यमान है । इस दिशा में गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है । प्रतिकर की मात्रा अत्यन्त न्यून है । १० रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति को मृत्यु की स्थिति में ५०० रुपये और स्थायी पंगुता के लिये ७०० रुपये वेतन वाले व्यक्ति को मृत्यु की स्थिति में ४५०० रुपये और स्थायी पंगुता के लिये ६,५०० रुपये प्रतिकर की व्यवस्था है । माननीय मंत्री को इन दरों में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिये ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा): व्यवसाय जन्य रोगों में बहुत कम रोग शामिल किये गये हैं । मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसे अनेक व्यवसाय रोग हैं जिनके कारण श्रमिकों की काम करने की शक्ति का १०० प्रतिशत ह्रास हो जाता है । इंजीनियरिंग कारखानों में अधिक श्रमिकों की दृष्टि बेकार हो जाती है । रासायनिक कारखानों में श्रमिकों को पेचिश और तपदिक हो जाते हैं । जैसा श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है प्रत्येक उद्योग का समुचित निरीक्षण किया जाना चाहिये । व्यवसाय जन्य रोगों की जांच के लिये समिति बनाई जाये ।

याचिका प्रतिकर से बचने का प्रयत्न करते हैं । वे कहेंगे कि दुर्घटना फैक्टरी में नहीं हुई, फैक्टरी के बाहर हुई है, यह फैक्टरी के निर्धारित समय के पश्चात् हुई है । श्रमिक के अस्पताल से लौटने पर वे उसे नौकरी नहीं देते हैं तथा इस प्रकार प्रतिकर से भी बचने का प्रयत्न करते हैं । श्रमिकों को प्रतिकर का ३० या ४० प्रतिशत एजेंटों को देना पड़ता है । मंत्रालय को ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिये कि श्रमिकों का अधिकतम हित हो । उन्हें कानूनी सहायता भी देने की आवश्यकता है ।

कारखानों में मालिक न्यूनतम निरोधक व्यवस्था भी नहीं करते हैं । अभी एक महीना पहले मैं यूरोप गया था । वहां मैंने देखा कि प्रत्येक उद्योग में दुर्घटनाएं रोकने के लिये निरन्तर उपाय किये जा रहे हैं । ५००० वाल्ट बिजली की भट्टी के सामने काम करने वाले श्रमिकों के लिये जल के पर्दे लगाकर गर्मी से उनकी रक्षा की जाती है । आज हमारे यहां किसी भी कारखाने में दुर्घटना के बचाव के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती है । इंसपेक्टर जाकर मैनेजर के कमरे में बैठ कर वापस आ जाता है और प्रबंधकर्ता मनमानी करते हैं ।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री आज एक बजे वक्तव्य देंगे । भारत और पाकिस्तान की परस्पर वार्ता के सम्बन्ध में अखबारों में छपी खबरों के बारे में एक ध्यान दिलाने की सूचना थी : मैंने वह सूचना स्वीकार कर ली है । प्रधान मंत्री वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं । वह यहां आकर एक बजे वक्तव्य देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कामगर प्रतिकर संशोधन विधेयक—जारी

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : आपात स्थिति होने पर भी सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत कर इस बात का परिचय दिया है कि सरकार श्रम सम्बन्धी विषयों में रुचि ले रही है । प्रतिकर में वृद्धि करने से श्रमिक और उसके परिवार को लाभ होगा । मेरा विचार है कि श्रमिक की मृत्यु के उपरांत उत्पन्न खाली स्थान पर उसकी स्त्री, पुत्र अथवा निकट संबंधी को प्राथमिकता देना चाहिये । कोयला खानों में तपेदिक के अनेक मामले हैं । अभ्रक की खानों में भी श्रमिकों को एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है । कदाचित् बीड़ी के कारखानों में कैंसर पैदा होने की आशंका रहती है ।

प्रतिकर देने में पर्याप्त विलम्ब हो जाता है । मुझे याद है कि एक फैक्टरी में मशीन चलाते समय एक युवा लड़की का हाथ कट गया था । इस दुर्घटना को दो वर्ष बीत चुके हैं किन्तु उसे अभी तक प्रतिकर नहीं मिला है । मालिक उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते हैं । कम वेतन वाला कोई युवा व्यक्ति अथवा मशीन से अनुभिज्ञ व्यक्ति रखने से दुर्घटना हो जाती है । ऐसी स्थिति में उपेक्षा के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को दण्ड दिया जाना चाहिये । सभी पार्टियों ने विधेयक का अनुमोदन किया है । मैं विधेयक का स्वागत करती हूं ।

श्री कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां रखा गया है, इसका मैं समर्थन और हार्दिक स्वागत करता हूं ।

इस बिल के अन्दर जो बात दी गई हैं, वे बहुत अच्छी है । इस सम्बन्ध में कुछ और बात है जिनकी और मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । फैक्ट्रीज में या मिलों में जो एक्सीडेंट होते है, उनके लिय फैक्ट्री या मिल मालिक ही जिम्मेवार होते है। व लोग मुआवजा देने में धांधली करते है, अपने दलाल छोड़ कर मजदूरों को बहकाते है, किसी प्रकार से उनको लालच देकर अपने घरों में बिठवा देते है और उनमें फूट डलवाने की कोशिश करते है । अगर एक्सीडट हो जाता है तो मजदूर से लिखवा लिया जाता है कि मेरी गलती से हुआ है । ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें । बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ भी है, बहुत सी ऐसी मिलें भी है, जिनमें मजदूरों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है । उनके स्वास्थ्य की रक्षा का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

इन एक्सीडेंट्स के फलस्वरूप जो मजदूरों को मुआवज़ा दिया जाता है, वह आज की महंगाई को देखते हुए काफी नहीं समझा जा सकता है। अगर किसी की इस तरह से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो इतना सा पैसा दे देने से ही काम नहीं चल सकता । मुआवज़ की राशि और भी बढ़नी चाहिये । आज के समय को देखते हुए किसी मजदूर को जो पैसा मिलता है, उस सूरत में जब वह अपना कार्य करते करते अपंग हो जाता है, वह बहुत कम है, वह भी बढ़ना चाहिये ।

मिलों के अन्दर या फैक्ट्रीज़ के अन्दर जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके बारे में गम्भीरतापूर्वक यह सोचा जाना चाहिये कि आखिर वे होते क्यों हैं । अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजदूरों से ज्यादा काम लिया जाता है, मशीनों की ठीक प्रकार से देखरेख का प्रबन्ध नहीं रहता है, मशीनें खराब होती हैं तथा मजदूरों पर काम करने के लिये दबाव डाला जाता है और उनको कहा जाता है कि तुमने उत्पादन ज्यादा करना हैं । इस प्रकार से वहांजपर एक्सीडेंट्स हो जाते है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ ही साथ फैक्ट्रीज या मिलों में काम करने के कारण मजदूरों का जो स्वास्थ्य खराब होता है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । सरकार की तरफ से मिलों और फैक्ट्रियों पर कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि गैस से उनका जो स्वास्थ्य खराब होता है, वह न होने पाये । इतनी गैस नहीं उड़नी चाहिये जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उनका स्वास्थ्य कम खराब हो ।

अब में बीड़ी मजदूरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । ये मजदूर रात रात भर बैठ कर बीड़ियां बनाते है और चूंकि लाइट कम होती है, इस वास्ते उनकी आंखें जल्दी खराब हो जाती है और उनके जीवन की रोशनी चली जाती है । इसके सम्बन्ध में भी जो मुआवजा दिया गया है, वह भी बहुत कम है और वह भी बढ़ना चाहिये ।

मैं आपके सामने नागदा मिल, जो कि मध्यप्रदेश में है, का उदाहरण पेश करना चाहता हूं । इस मिल को मैंने स्वयं जाकर देखा है । यह ग्रीसिंग मिल है । इसमें तेजाब इस्तैमाल होता है और गैस उड़ती रहती है । जो वहां पर गैस की भाप उड़ रही थी, उससे जब मैं वहां गया तो मुझे कै हो गई । इस हालत में उस फैक्ट्री के अन्दर कोई भी मजदूर पांच साल से अधिक काम नहीं कर सकता है । लेकिन हमारी सरकार का इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं गया है और न इस तरह की चीज के बारे में कोई कानून बना है, कि इसकी रोकथाम की जाए । कोई भी मजदूर अथवा कोई बाहर का व्यक्ति अगर इस फैक्ट्री को देखने जाता है तो वह कै करता हुआ बाहर आता है । मैंने स्वयं अपना अनुभव आपके सामने रखा है ।

मैं समझता हूं कि कानून बनाना तो बहुत अच्छा है लेकिन वह लागू होता है या नहीं होता है और अगर लागू होता है तो कितनी फैक्ट्रीज अथवा मिलों पर लागू होता है, यह भी देखना आपका फर्ज है । यह कानून उन फैक्ट्रीज पर भी लागू होना चाहिये जहां पर पांच आदमी या दस आदमी या पन्द्रह आदमी भी काम करते है । अगर इस कानून को मिल मालिक तथा फैक्ट्री मालिक अमल में नहीं लाते है और छानबीन के बाद यह बात सिद्ध हो जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानीं चाहिये और उनके ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिये कि दूसरे उससे सबक ग्रहण कर सकें । अगर ऐसा किया गया तो मजदूर और मजदूर में पक्षपात नहीं बरता जाएगा और जो मुआवजा उनको दिया जाना है, वह तुरन्त दे दिया जाएगा । मैं स्वयम् एक मिल में काम करता हूं, मैंने अक्सर देखा है, मेरा इस प्रकार का अनुभव है, कि यदि मजदूर ठीक प्रकार से उत्पादन नहीं करता है तो उसको दण्ड दिया जाता है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के एक्शन लिये जाते है । कम्पनी इस बात को नहीं देखती कि उसकी मशीन खराब थी, वह उस मजदूर पर ही दबाव डालती है कि वह इसको मान ले कि उसकी ही गलती से एक्सिडेंट हुआ है । अगर मशीन की कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर विचार नहीं किया जाता । मजदूरों के क्षेत्र में अधिकांश लोग कम पढ़े लिखे होते है, इसलिये मिल के दलाल जो होते है वह उनको समझाते है कि मालिक जो बात कहता है उसको मान लो क्योंकि उसी में तुम्हारा फायदा है, और अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा । ऐसे बहुत से केसेज होते है जिनमें मजदूरों का पैसा भी बहुत लग जाता है मामले को आगे बढ़ाने में । मैं स्वयम् एक केस लड़ रहा था जिसमें एक मजदूर का हाथ कट गया था मशीन से । उस मुकदमे में ७०० रु० खर्च आया और मजदूर को केवल १२०० रु० मिले । इसलिये कोर्ट में जाने की जो गुंजाइश मजदूर को है वह नहीं होनी चाहिये । सारे फैसले जो मजदूरों के नुमाइन्दे होते हैं और जो मिल मालिकों के नुमाइन्दे होते है, वह बैठ कर लिया करें ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कानून बन रहा है उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये । अगर मजदूर लोग काम करते करते जख्मी हो जाते है तो उनके इलाज का

[श्री कछवाय]

प्रबन्ध भी मिल को करना चाहिये । ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज है जो कि मजदूर के इलाज का पैसा उनकी तनख्वाहों से काट लिया करती हैं । इस तरह के कई उदाहरण मेरे सामने है । यह प्रथा खत्म होनी चाहिये और अगर कोई मजदूर जख्मी हो जाय तो उसके इलाज का पैसा उसके वेतन में से नहीं काटा जाना चाहिये ।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कम्पेन्सेशन बिल हमारे सामने है उसका मैं समर्थन करता हूं । अगर आप देश के तमाम उद्योगों, इण्डस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज और मिल्स का एक बार सिंहावलोकन करें तो आप को एक ऐसी स्थिति के दर्शन होंगे जिससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारी लेबर की स्थिति मिल के अन्दर क्या है और मिल के बाहर क्या है । किन परिस्थितियों में एक्सिडेंट्स होते है, उसके बाद किस तरह से मजदूरों के साथ व्यवहार होता है, इण्डस्ट्री के अन्दर एफिशिएन्सी कैसे हो, यह सब बातें इसके साथ आ जाती है । जब एक्सिडेंट्स होते है उसके बाद कम्पेन्सेशन का सवाल पैदा होता है ।

आज से १५ या २० वर्ष पहले की बात है जबकि लेबर लेजिस्लेशन का इम्प्लिमेण्टेशन बड़ी सख्ती से नहीं होता था । मिलों में जो सुपीरियर हेड्स होते थे वह जिस वक्त डिपार्टमेंट्ल विजिट करते थे उस वक्त उनके हाथ में एक बेंत होता था, या यों कहिये कि एक छाता होता था । अगर उनका टेम्पर वहां लूज हुआ तो लेबर के साथ सीधा व्यवहार या तो चांटे का होता था या फिर छाता या बेंट का होता था । धीरे धीरे जब हम लेजिस्लेशन की तरफ बढ़े और थोड़ा सा एनलाइटेनमेंट हुआ सोसायटी में तब यह प्रैक्टिस कम हुई । लेकिन हमने देखा कि लेबर की जो फण्डामेंटल डिगनिटी है, जिसका सम्बन्ध एक ह्यूमन ऐप्रोच से है, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति से व्यक्ति के व्यवहार से है, वह हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है । और यह दुःख की बात है । मैनेजमेंट सिर्फ यह समझता है कि मजदूर हमारे यहां केवल काम करता है, सैकड़ों और हजारों फैक्ट्री प्रेयमसेज में आते है और आठ घण्टे काम करके चले जाते है । मैंने विदेशों में कुछ फैक्ट्रीज को देखा है खास कर जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ्रांस में । वहां मैंने देखा कि लेबर के साथ वहां कितना अच्छा व्यवहार होता है । इसीलिये सबसे पहले जब सुपीरियर हेड डिपार्टमेंट में एन्टर होता है वैसे ही सभी उस को स्माईलिंगली वैलकम करते हैं । जिस वक्त फैक्ट्री में मशीन के सामने वह लोग काम करते है, उनको एक यूनिफार्म दी जाती है । वह यूनिफार्म ऐसी होती है जिससे उनकी एफिशिएन्सी मालूम होती है, उनकी बाडी, उनकी फिंगर्स, उनकी नजर, इस ढंग से डिस्प्ले होती है जिसमें कि उनके घायल होने की, इंजर होने की कोई सम्भावना न हो ? यहां पर एक यूनिफार्म दी जाती है । अगर लेबर की हैल्थ की तरफ आप जायें तो वहां पर कन्टीन होती है, स्विमर्मिंग पूल होता है, उनकी हेल्थ का एग्जामिनेशन होता है, और अगर किसी वजह से, मसलन ज्यादा काम करने की वजह से, कोई मजदूर दुबला हो जाता है तो उसको विटमिन्स दिये जाते है । यह एप्रोच है जो उन लोगों को इन्थ्ययूज करती है, उनके अन्दर जान पैदा करती है, शरीर के अन्दर एक शक्ति पैदा करती है और वह काम के लिये इन्स्पायर होते है और मेहनत से काम करते है ।

हमारे यहां फैक्ट्रीज की क्या पोजीशन है ? हमारा लेबर से जो व्यवहार है उसमें एक ह्यूमन टच नहीं है, एक ह्यूमन एप्रोच नहीं है । हम यह जानते है कि लेबर की एफिशिएन्सी बढ़नी चाहिय । हम मोर प्रोडक्शन का स्लोगन लगाते है, हमारे बड़े बड़े नेता लगाते है, लेकिन फैक्ट्रीज के अन्दर जो एटमास्फिअर है, उसके अन्दर एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का जैसा व्यवहार होना चाहिये वैसी एप्रोच हमारे देश में नहीं है । अगर किसी फैक्ट्री के वर्कर ने अच्छा काम किया है तो हम

को उसको रेम्युरेट करना चाहिये। लेकिन हम तो एक शब्द थैंक यू का कहने में भी अथवा धन्यवाद देने में भी बड़ कृपण हैं, जिससे कि यह साइकालोजिकल सेन्स पैदा होता है कि हमने जो श्रम किया है, जो काम किया है, उसे रिकग्नाइज किया गया है और जो हमारा सुपीरियर हेड या मैनेजमेंट का आदमी आकर हमें उसके लिये धन्यवाद देता है। इस कृपणता का परिणाम हुआ करता है कि लेबर डिप्रैस्ड एटमास्फिअर में काम करता है, टेंशन में काम करता है, और जब बाहर आता है तो उसके टेनमेंट्स भी गन्दे रहते हैं। वह स्लम्स में रहता है। एक बार पंडित जी कानपुर की एक स्लम एरिया को, जिसमें लेबरर्स रहते थे, देख कर बहुत नाराज हुए और कहा कि मुझे बड़ा दुःख है कि इस तरह की लेबरर्स की कंडिशन है। क्यों नजइसमें आग लगाजदी जाय। मैं उन की भावना को समझ सकता हूं और उन्होंने ठीक कहा। उस एरिया में आग तो नहीं लगाई गई लेकिन स्लम को क्लिअर कर दिया गया। वहां पर अच्छे मकान बनाये गये। यह वह ऐप्रोच है जिस की तहत हम यह करना चाहते हैं कि फैक्ट्री में लेबर और मैनेजमेंट में सेन्स आफ एक्स्प्लायटेशन न हो कर एक ऐसा पार्टिसिपेशन का आधार होना चाहिये जिस में लेबर इन्थ्यूज्ड फील करे और सोचे कि वह अपनी ड्यूटी को पूरा करता है या नहीं। हमारे यहां यह चीज नहीं है। अगर एक आदमी का शरीर घायल हुआ तो वह तो हुआ ही, लेकिन आदमी के अन्दर शरीर से भी भारी एक चीज़ होती है जिस को इमोशन या भावना कहते हैं। जो उस की भावना होती है उस के लिये कोई कन्पेन्सेशन नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी को इन्सल्ट किया गया तो वह समझता है कि यह उस के काम का रिवार्ड है। अगर उन लोगों के प्रति संवेदन-शीलता की भावना नहीं होती तो नतीजा यह होता है कि लेबर लोग अपने स्थान पर डिमारलाइज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वे निरुत्साह होते हैं काम के लिये। इस के लिये हम को एक ठीक ऐप्रोच तैयार करनी चाहिये। खास कर इस इमर्जेन्सी के मौके पर जब हम यह बिल पेश करते हैं तो इस तरह की ऐप्रोच और एक रैशनलाइजेशन होना चाहिये, इतनी ह्यूमैनिटेरियन ऐप्रोच होनी चाहिये, जिस में प्राणी मात्र की भावना बढ़े और हर वर्कर महसूस करे कि उसे काम करना है।

मिलों के अन्दर जब हम देखते हैं तो चाहे इंजिनअरिंग फैक्ट्रीज हों, चाहे फाउंड्रीज हों, लोहे के स्माल पीसेज पड़े रहते हैं जो कि जब लेबर टेंशन में आता है तो लग जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है तो न ऊपर से कुछ होता है और न नीचे से कुछ होता है। फाउंड्रीज़ में से अक्सर आग निकलती रहती है, खासकर केमिकल फैक्ट्रीज में, रेयान फैक्ट्रीज में जो गैसेज निकलती रहती हैं, उन के बारे में दुनियां की अच्छी फैक्ट्रीज में रिसर्चेज होती हैं कि ऐटमास्फिअर को कैसे अच्छा रक्खा जाय ताकि लेबर के लंग्स को या बाडी को कोई चोट न लगे और मिलों के अन्दर सड़कें साफ हों। अगर मिलों में सड़कें साफ हों और हर प्रकार का इन्तजाम हो तो बड़ी एफिशिएन्टली काम हो सकता है। कैमिकल फैक्ट्रीज़ में चिमिनयां होती हैं। दुनियां में मार्डन टेकनालोजी और मार्डन मशीनों के युग में यह सोचा जा सकता है कि यह गैसेज किस तरह से आसानी से ऊपर पास की जा सकती हैं जिस में कि लेबर के लंग्स खराब न हों। मान लीजिये कि एक लेबरर मर गया उस का कम्पेन्सेशन आप ने डबल कर दिया, उस की जो सैलरीज या वेजेज हैं उन की आप ने ३०० रु० से ४०० रु० कर दिया, ५०० रु० कर दिया, लेकिन जो मर गया उस का क्या लाभ होगा? एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि महाप्रलय कब होगी। दूसरे ने जवाब दिया कि जब मैं मर जाऊंगा तब महाप्रलय होगी। ऐसी भावना के अन्तर्गत मैं कहना चाहता हूं कि आपने लेबर के मरने के बाद जो कम्पेन्सेशन दिया वह तो ठीक किया, लेकिन वह तो मर गया। और मर क्यों गया? यह बड़ी भारी बुनियादी बात है जिस को हमें देखना है। कहीं वह इस लिये तो नहीं मर गया कि उस की हेल्थ खराब थी, उस का मेडिकल एक्जामिनेशन नहीं हो सका

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

या जो मिल या फैक्ट्री का मैनेजमेंट अथवा प्रबन्ध था उस में कोई कमी थी ? मैं कहना चाहता हूं कि उस की यूनिफार्म अच्छी होनी चाहिये। हमारे यहां बहुत सी जगहों पर आज लेबर धोती पहन कर काम करता है और कुर्ता पहन कर काम करता है। मैं तो कहता हू कि आज हमारे यहां एक डाइरेक्टिव निकलना चाहिये, जिस समय कि हम यह कम्पेन्सेशन बिल पास करने जा रहे हैं, कि सब जगह सिमिलर यूनिफार्म होनी चाहिये। हमारा एक ट्रापिकल कंट्री है इस में हाफ शर्ट या बनियान और जांघिया और एक अच्छा जूता पहन कर लेबरर काम कर सकता है। अगर हम इस तरह की तीन चीजें प्रेस्क्राइब कर दें कि यह यूनिफार्म होगी तो दुर्घटनायें बहुत कम हो जायेंगी। जब लोग धोती और कुर्ता पहन कर काम करते हैं तो नतीजा यह होता है कि कहीं धोती फंस जाती है कहीं कुर्ता फंस जाता है, जूते के नीचे कीलें लगी होती हैं और अक्सर जगहों पर सीमेंट की रोड होती है, उस में वह फिसल जाता है और टांग टूट जाती है। इसी तरीके से जिस वक्त मिल प्रेमिसेस में लेबर आये तो उस के जूते में रबर सोल होना चाहिये। उसके लिये एक निकर होना चाहिये, उसके ऊपर एक कमीज होनी चाहिए, यह यूनीफार्म आप फैक्टरी वर्कर्स के लिए यूनीवरसली लागू कर दें और फिर देखें कि कैजुएलिटीज के फिगर कितने कम हो जाते हैं।

इसी तरह के मिल के बाहर की हालत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस हालत में वह रहता है। मिल के भीतर और उसके बाहर की, दोनों हालतों को देखा जाए। अगर वह बाहर भी घायल होता है तो भी उसे कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। अगर किसी वरकर की डैथ हो जाती है या वह परमानेन्टली डिसएबिल हो जाता है तो उसकी फैमिली के हैड को, लड़के को या भाई को उसकी जगह अवसर देना चाहिए।

आज यह वक्त है कि लेबर के महत्व को पूरी तरह समझा जाए और यह न होना चाहिए कि उसको केवल मिल में काम करते वक्त अगर चोट लगे या उसकी मृत्यु हो तो उसके लिये कम्पेन्सेशन दिया जाय बल्कि अगर वह बाहर भी मरता है, तो चूंकि वह मिल में काम करता है इसलिए इस बात को एग्जामिन किया जाए कि वह किन हालात में मरा है और उसको कम्पेन्सेशन दिया जाए अगर यह समझा जाए कि मिल में काम करने के कारण उसकी मृत्यु हुई है।

श्री बेरवा कोटा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने ३९ साल सोने के बाद महंगाई का सवाल करते हुए कम्पेन्सेशन बढ़ाने की तजवीज की है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं भी एक मजदूर हूं। हालांकि गवर्नमेंट ने समाजवाद का नारा लगाया है, लेकिन मजदूरों के साथ अब भी अच्छा बरताव नहीं किया जाता है और जो कम्पेन्सेशन बढ़ाने की तजबीज है उससे मजदूरों को कोई खास खुशी नहीं है बल्कि मजदूरों में बड़ी निराशा इससे फैलेगी। मिशाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि यह कानून सन् १९२३ में लागू किया गया था। उस लक्त खाने पीने की चीजें बहुत ही सस्ती थीं। जो चीज उस समय एक रुपये में आती थी वह आज आठ रुपये में आती है। पिछले ३९ सालों में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। जिस मजदूर को आज मृत्यु हो जाने पर १००० रुपया देने की तजवीज है उसको पहले ५०० रुपया दिया जाता था। उस समय उस ५०० रुपये की कीमत बहुत ज्यादा थी, आज के ५००० के बराबर थो। इसलिये मैं कहूंगा :क जहां पहले मजदूर को ५०० रुपया कम्पेन्सेशन मिलता था उसके स्थान पर उसको आज ५००० रुपया मिलना चाहिए क्योंकि महंगाई दस गुनी हो गई है और बढ़ती जा रही है।

मिल मालिक जैसे टाटा, बिड़ला वगैरह मजदूरों से मालामाल हो गए हैं तो फिर मजदूर को इतनी कम रकम क्यों दी जा रही है। मरने के बाद उसके लिए इतना कम कम्पेन्सेशन क्यों रखा जा रहा है, इससे ज्यादा देना चाहिये।

गवर्नमेंट ने अब तजवीज की है कि काम करने वाले को जो बीमारी या पाइजनिंग हो जाता है जिससे यह नाकारा हो जाता है या उसको नौकरी से हटना पड़ता है, या उसको नौकरी से हटने के बाद बीमारी हो जाती है उसके लिये उसको कम्पेन्सेशन दिया जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके हाथ ही मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि ये बातें कागज पर ही रह जाती हैं उन पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि प्राइवेट मिलों के मालिक धनवान हैं और डाक्टर भी उन्हीं कम्पनियों के होते हैं जो उन से दबे हुए होते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से डाक्टरों का एक बोर्ड बना दिया जाये जिसका कम्पनियों के मालिकों से कोई ताल्लुक न रहे।

जो आपने शिड्यूल बनाया है वह मन्थली वेजेज के आधार पर बनाया है। मजदूरों को जो इन वेजेज के अलावा एलाउंस और बोनस दिया जाता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। मिशाल के तौर पर तनखाह दस रुपया दिखायी या बीस रुपया या तीस रुपया दिखाई जाती है और महंगाई ५० या ६० रुपया दिखाई जाती है। उसके मूताविक कम्पेन्सेशन नहीं रखा है। यह तो सिर्फ आंसू पोंछना र। गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्पनीज़ तनखाह २० या २५ रुपए दिखाती हैं और महंगाई ज्यादा दिखाई जाती है जिसे तनखाह में नहीं मिलाया जाता। इससे वर्कमैन को काफी नुकसान हुआ है।

ये जो लेबर वैलफेयर आफिसर होते हैं ये कम्पनियों से दबे होते हैं और मजदूरों के हित में कभी नहीं बोलते। इसलिये एक रीजनल बोर्ड होना चाहिए जो इनकी शिकायत सुन सके।

जब तक कम्पेन्सेशन का फैसला न हो जाए तब तक मरने वाले के परिवार को कुछ न कुछ एडवांस जरूर दे दिया जाए। और अगर यह बात इस बिल में नहीं आती तो उसको लाना चाहिए।

अगर सरकार मजदूरों का हित चाहती है तो इस कानून को बड़ी सख्ती के साथ सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों पर लागू करना चाहिये, और ऐसे कानून का काम आंसू पोंछना नहीं होना चाहिए बल्कि कानून के उद्देश्यों, की पूर्ति होनी चाहिए और वर्तमान कम्पेन्सेशन की रकम में और बढ़ोत्तरी की जाए जिससे मजदूर वर्ग का भला हो सके और जो मजदूर फैक्टरियों में काम करने के कारण अन्धे, लंगड़े या बहरे हो जाते हैं उनको किसी फाटक पर या किसी बगीचे वगैरह में लगा देना चाहिये ताकि उनकी मजदूरी का सहारा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से आज मैं कहना चाहता हूं कि वह तीन चार वार बोल चुके हैं। आयन्दा मैं उन को पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर पर वार्ता

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १०७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और इस पर एक वक्तव्य देने के लिये उनसे प्रार्थना करता हूं :—

"काश्मीर विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित बातचीत के बारे में कथित समाचार।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** सभा को ज्ञात है कि हाल ही में ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क मंत्री, श्री डंकन सैंडीज़ और अमरीका के असिस्टेंट सैक्रेटरी आफ स्टेट श्री एवरैल हैरीमैन भारत आये थे। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के बारे में और इस सम्बन्ध में हमारी ज़रूरतों के बारे में उनके साथ विस्तृत बातचीत हुई। यह बातचीत बहुत सफल रही और हमें आशा है कि हमारी ज़रूरत का बहुत सा सामान अमरीका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों से प्राप्त होगा। इस संकट के समय में जो देश हमारी सहायता कर रहे हैं मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं। मिस्टर डंकन सैंड्स और मिस्टर हैरीमैन के साथ मेरी जो बातचीत हुई उस के दौरान पाकिस्तान के साथ हमारे तालुकात का सवाल भी उठा मैंने उन्हें बताया कि हमारी नीति सदा यह रही है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना तालुकात रखें जायें। क्योंकि न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि हमारा एक इतिहास, संस्कृत, भाषा और अन्य कई सम्बन्ध है हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहा और हम यही मुनासिब समझते हैं कि दो पड़ौसी देशों में जिन का आपस में इतना मेल मिलाप रहा है, मित्रता पूर्ण सम्बन्ध रहें। काश्मीर के मामले का भी ज़िक्र आया और इस सम्बन्ध में हमने अपनी स्थिति उन्हें स्पष्ट की और यह भी बताया कि काश्मीर की वर्तमान स्थिति में कोई भी अदलाबदली करना न सिर्फ काश्मीर के लोगों के लिये ही हानिकारक होगा बल्कि इस का असर भारत और पाकिस्तान के परस्पर सम्बन्धों पर भी पड़ेगा। हम पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ किसी भी स्तर पर दूसरे मामलों के साथ साथ काश्मीर के मामले पर भी बातचीत करने के लिये हमेशा तैयार रहे हैं। वास्तव में पिछले कुछ महीनों में हम ने विभिन्न स्तरों पर कुछ बैठकें करने का भी सुझाव दिया था लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसका कोई सही उत्तर नहीं दिया।

मिस्टर सेंड्स और मिस्टर हैरीमैन ने हमारी स्थिति को समझा लेकिन फिर भी उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच इन मामलों पर मित्रतापूर्ण वाद-विवाद लाभदायक होगा। मैंने इसे स्वीकार किया क्योंकि हम खुद यह सुझाव देते रहे हैं कि बातचीत के लिये एक मीटिंग होनी चाहिये। मैंने उन को अपने मूल सिद्धान्त बतलाये और यह भी बतलाया कि उन सिद्धांतो की अवहेलना करना हमारे लिये किस प्रकार संभव नहीं होगा।

इसके पश्चात् मिस्टर सेंड्स पाकिस्तान गये और प्रेजिडेंट आयूब खां से परामर्श करने के पश्चात् कल यहां लौट आये और उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक संयुक्त वक्तव्य दोनों सरकारों द्वारा लिया जाये। जिस में यह बताया जाये कि भारत और पाकिस्तान के मामलों को सुलझाने के लिये नये सिरे से प्रयत्न किये जायेंगे जिस से कि भारत और पाकिस्तान शान्ति और मित्रता पूर्वक रह सकें और जिस में यह भी स्पष्ट किया जाये कि पहले मंत्रियों के स्तर पर और बाद में राज्य अध्यक्षों के बीच इन मामलों को निबटाने के लिये प्रत्यक्ष बातचीत हो। संयुक्त वक्तव्य के प्रारूप में हम ने कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया। और अन्त में निम्नलिखित संयुक्त वक्तव्य भारत और पाकिस्तान की सरकारों की ओर से जारी किया गया।

पाकिस्तान के प्रेजिडेंट और भारत के प्रधान मंत्री इस बात से सहमत हो गये हैं कि दोनों देशों के मामलों और काश्मीर तथा तत्सम्बन्धी विषयों को निबटाने के लिये फिर से प्रयत्न किए जायें ताकि भारत और पाकिस्तान साथ-साथ शांति और मित्रता पूर्वक रह सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । श्री कामत :

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : रावलपिंडी से छपे कुछ समाचारों में काश्मीर के विभाजन अथवा मतसंग्रह का उल्लेख किया गया है । क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस की ओर आकृषित किया गया है और क्या बातचीत आरम्भ करने से पहले इन दोनों बातों के बारे में कुछ विचार किया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि आज के समाचार पत्रों में जो यह समाचार छपे हैं । उन्हें मैं नहीं पढ़ सका लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि यह सब वक्तव्य निराधार है हमारी जो बातचीत हुई है वह केवल एक मिटिंग करने और इन मामलों पर विचार करने से सम्बन्ध रखती है मिस्टर सैंड्स अथवा कोई अन्य व्यक्ति हमें यह नहीं बता सकता कि हमें किस प्रकार की बातचीत करनी चाहिये । मैंने उन्हें वही कुछ बताया जो मैं यहां आप को बता चुका हूं कि हम लगभग दो महीने से पाकिस्तान को बातचीत करने की पेशकश कर रहे हैं पर उस में उन्होंने कोई रुचि व्यक्त नहीं की है ।

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेंगे । श्री स० मो० बनर्जी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । विरोधी तथा सत्तारूढ़ दलों के कुछ संशोधन स्वीकार कर लिये गये हैं यह प्रसन्नता की बात है ।

व्यवसायगत बीमारियों को शामिल करने का संशोधन बहुत अच्छा है । श्री कछवैया ने नागल की रेयन फैक्टरी का उल्लेख किया है । कानपुर में मुझे एक रेयन फैक्टरी का अनुभव है, क्योंकि वहां निकलने वाली झाग से पक्षपात हो जाता है पांच छः वर्ष तक काम करते रहने पर रेयन फैक्टरियों में काम करने वालों की काम करने की हालतों, सुरक्षा, आराम आदि की जांच एक समिति द्वारा करवाई जाए । समिति ने जहां काम के घंटों को ८ से हटा कर ५ कर देने की सिफारिश की है । यदि वह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई तो क्या कारण हैं ।

आयुध फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । इन में टी० एन० टी० सोल्यूशन का प्रयोग होने से विषैली गैस बाहर निकलती है । रेयन फैक्टरियों के कर्मकारों के समान इन कर्मकारों को भी पक्षाघात हो जाता है । मैं ने कल्याण समिति के सदस्य के रूपमें फैक्टरियों के प्रबन्धकों से से इस के बुरे परिणाम की बात सुनी है । क्या यह बीमारी व्यवसायगत बीमारियों में शामिल है उन को प्रतिकर देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

बीमारियों में अन्तर करना कठिन है कि कौन बीमारी व्यवसायगत है या नहीं । सभी कारखानों में काम की हालतों की जांच के लिये डाक्टरों की सम्मिति होनी चाहिये जो ये फैसला करें कि कौन सी बीमारी व्यवसायगत है । उसका उपबंध विधेयक में होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस के परिणाम स्वरूप उन्होंने शीघ्र ही एक सम्मान पूर्ण और न्यायोचित समझौता करने के लिए शीघ्रही बातचीत आरम्भ करने का निश्चय किया ।

प्रारम्भ में यह बातचीत मंत्रियों के स्तर पर आरम्भ होगी । और उपयुक्त स्थिति पर श्री नेहरू और प्रेजिडेंट अय्यूब के बीच प्रत्यक्ष रूप से बातचीत होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसचिविय स्तर पर बातचीत के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या मिस्टर सैंड्स ने कोई ऐसा संकेत दिया था कि काश्मीर की समस्या को जम्मू तथा काश्मीर राज्य का विभाजन कर के हल किया जायेगा । जैसा कि आज सुबह बी० बी० सी० रेडियो से प्रसारण में उल्लेख किया गया, इस बारे में मैं प्रधान मंत्री से स्थिति स्पष्ट करवाना चाहता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने यह बात मेरे ध्यान में लाई है मैं ने वह प्रसारण नहीं सुना है और विषय पर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह निराधार है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो कर दोनों गवर्नमेंट्स के हैड्स ने एक ज्वायंट स्टेटमेंट निकाला है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बातचीत के दौरान में कोई ऐसी बात तो तय नहीं हुई है जो कि अभी बिलकुल फाइनैलाइज़ तो नहीं हुई है लेकिन बुनियादी तौर पर यह मान लिया गया है कि हिन्दुस्तान के कब्जे में काश्मीर का जो इलाका है वह कुछ इलाका पाकिस्तान को दे कर फैसला किया जायगा ? कोई ऐसी बात तो नहीं की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो जवाब आ गया है कि पार्टीशन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई ।

श्री बागड़ी : दूसरी चीज़ में यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर का जैसे एक मसला है उसके अलावा और भी छोटी छोटी बात के लिए कहा गया है कि उनके बारे में भी समझौता करने की कोशिश की जायगी, तो जैसे काश्मीर का नाम लिया है कोई दूसरी चीज़ें भी हैं जैसे कि मुश्तरका महाज वगैरह का मामला है कोई और भी इश्यूज़ हैं जिन पर कि बातचीत होगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें । क्या किन्हीं अन्य मामलों पर भी चर्चा की जायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : खाली एक मसला था कि हम बातें करें आपस में और वह हमें मंजूर था, हमेशा से, वह तो तय ही है लेकिन और कोई बात या किस ढंग से बातें हों, यह कोई निश्चित नहीं हुआ है ।

श्री बागड़ी : मेरे पूछने का मतलब था . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने सवाल किया जवाब आ गया यह ऐसी कोई बात अभी तक तय नहीं हुई । अब और आप क्या चाहते हैं ?

श्री बागड़ी : काश्मीर का जैसे नाम आया है उसी तरीके से क्या किसी और चीज़ . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आ० प्र० शर्मा ने रेलवे कर्मचारियों की दृष्टि हीनता की बीमारी की बात सच कही है। उनके लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये और ऐनकों की कीमत उन को दी जाए।

कम वेतन वालों के लिये प्रतिकर की राशि बढ़ाई जाए। मृत्यु के पश्चात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि श्रेणी का अन्तर नहीं होना चाहिये, और मरने वाले के परिवार को समान समझ कर प्रतिकर की राशि अधिक होनी चाहिये ? इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: सभा के माननीय सदस्यों ने जो बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं उन के लिये आभारी हूं और उन को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। माननीय सदस्यों ने एक मत से इस का समर्थन किया है।

जैसा बताया गया है इस विधेयक को लाने में मंत्रालय को संकट कालीन स्थति रोक नहीं सकी यद्यपि आज आपत्काल है, जिस समय हमने अनुभव किया कि श्रमिकों, कर्मकारों के लिये कुछ किया जाना चाहिये, हमने विधेयक को लाने में झिझक नहीं की।

श्री वारियर ने बताया है कि अधिनियम के अन्दर कुछ और व्यवसायों को लेना चाहिये। कर्मकारों की सूची में जो अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, इसकी अनुसूची २ में आंकी है जो बड़ी व्यापक है, इसमें सभी कठिन व्यवसाय आ जाते हैं श्री बनर्जी ने कहा कि बिजली का प्रयोग करने वाली फैक्टरियों खानों, बागानों, निर्माण कार्यों आदि के कर्मकार इसमें आने चाहिये। अब उनमें से अधिकतर तो लिये गये हैं, ३२ श्रेणियों के व्यवसायों के कर्मकार।

उन्होंने कम आयु वाले मजदूरों के लिये प्रतिकर की दर बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। उनके मामले में प्रतिकर अनुपात अधिक आयु वाले वर्गों की अपेक्षा अधिक है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : राशि कुल कितनी है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैंने अनुपात का हिसाब लगाया है स्थिति यह है। १० रुपये मासिक वेतन वाले के लिये प्रतिकर की राशि ५० गुना मृत्यु के मामले में, स्थायी तौर पर असमर्थ होने पर ७० प्रतिशत अर्थात् ७०० रुपये है। अर्ध मासिक वेतन पांच है ३० रुपये मासिक वेतन के लिये प्रतिकर ३० गुना अर्थात् ९०० रुपये मृत्यु को अवस्था में तथा स्थायी तौर पर असमर्थ होने पर ४२ गुना यानी १२६० रुपये है। अर्ध मासिक ऐक तिहाई से कम है २०० रुपये वेतन वाले के लिये मृत्यु होने पर १७।। गुना यानी ३५०० रुपये और स्थायी तौर पर असमर्थ होने पर २४।। गुना यानी ४९०० रुपये जो छटे भाग से भी कम है। ४०० रुपये वेतन के मामले में मृत्यु पर ११। गुना अर्थात् ४५०० रुपये और स्थायी तौर पर असमर्थता पर १४।।। गुना अर्थात् ६३०० रुपये जो तेरहवें भाग से भी कम है। चूंकि प्रतिकर वेतन से आय की अवस्थाओं के रुप में दिया जाता है, १०१ पाने वाले को उतना प्रतिकर मिलता है जितना २०० रुपये पाने वाले को। यद्यपि उसका वेतन १०१ है किन्तु उसे प्रतिकर उतना मिलता है जितना २०० पाने वाले को। इसी प्रकार ३०१ पाने वाले को वही मिलता है जितना ४०० पाने वाले को। नवीन अनुसूची ४ के अधीन यह पुरानी अनुसूची से दुगना है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमय के संबंध में एक टिप्पण किया गया था कि व्यवसायगत बीमारियों की सूची अधिक व्यापक बनाई जाये। चिकित्सा विशेषज्ञों की एक प्रविधिक समिति की सिफारिशों पर ८ अतिरिक्त व्यवसायगत बीमारियां १९५९ के संशोधन अधि-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

नियम द्वारा बढ़ाई गई थीं, जिससे प्रतिकर देने वाली बीमारियां १२ से ३०कर दी गई थीं। जहां तक इन बीमारियों का संबंध है, १६३४ के अधिनियम के पश्चात् कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं बना। शायद श्री वारियर को उन बातों का पक्का पता नहीं था।

१६५६ के संशोधन विधेयक संबंधी चर्चाओं में, कुछ और बीमारियों को जोड़ने का सुझाव था। इस मामले की जांच चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से की गई और अब इस सूची में दो और बीमारियां जोड़ने का प्रस्ताव है।

श्री वारियर ने काजू उद्योग तथा तत्संबंधी डरमैटिटिस का उल्लेख करके ठीक बात नहीं की। यह बीमारी उस उद्योग में होती है किन्तु इस उद्योग के प्रतिष्ठान फैक्टरी होने के नाते इस अधिनियम में आते हैं। अधिनियम की धारा ३(४) के अधीन व्यवसायगत बीमारी से भिन्न बीमारी जिस कर्मकार को लग जाती है, जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची ३ में है, जो काम करते हुये होने वाली दुर्घटना में होने वाली विशिष्ट चोट के द्वारा होती है, उसे प्रतिकर का हक होता है। अतः यद्यपि यह सूची में नहीं,वास्तव में इसके लिये प्रतिकर मिलेगा, और यदि यह प्रमाण मिल जाता है कि बीमारी उस व्यवसाय से हुई है तो कर्मकार को हमेशा प्रतिकर का हक होता है। यह सही है कि स्पष्ट रुपेण यह सूची में नहीं।

अध्ययन दल के विविध सुझावों की जांच करने पर वे व्यवहारिक नहीं समझे गये।

†**श्री रंगा** (चितूर) : क्योंकि अधिकतर मालिकों की पूंजी कम होती है अतः प्रतिकर देने का उत्तरदायित्व सरकार को काजू उद्योग के मामले में अपने ऊपर ले लेना चाहिये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जैसा कि मा० सदस्यों को पता है जब कोई उद्योग कर्मचारी राज्य बीमा में आता है, तो यह सरकार द्वारा किया जाता है। इसका स्तर बढ़ाने का प्रयत्न यथा संभव किया जाता है ताकि जितने अधिक उद्योग इसमें आ सकते हैं वे आ जायें।

३५ लाख कर्मकारों में से अब ३० लाख इसमें आते हैं जिनमें से १६ लाख पहले ही आते थे---मैं मोटे आंकड़े बता रहा हूं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में तीसरी योजना के अन्त तक हम सभी ३० लाख को इसमें लाना चाहते हैं। यह सही है कि आपातकाल के कारण, हो सकता है कुछ विलम्ब हो जाये किन्तु हमारी इच्छा और प्रयत्न यही है

बार बार कहा गया है कि मालिक अदालत में चले जाते हैं। बात यह है कि कर्मचारी जा सकता है, मालिक नहीं जा सकता। यदि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन विवाद हो, तो धारा १६ के अधीन किसी दीवानी अदालत को क्षेत्राधिकार इस मामले में नहीं। उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है क्योंकि रिट नहीं रोकी जा सकती। मैं समझता हूं कि श्री वारियर की सभी बातों का उत्तर देने का प्रयत्न मैंने किया है।

श्री दी० चं० शर्मा ने सुझाया है कि असंगठित उद्योगों को जैसे बजरी और बीड़ी के कर्मकारों को ध्यान दिया जाये। उन्होंने पंजाब के पत्थर तोड़ने वाले शरणार्थी का भी जिक्र किया। निर्माण उद्योग तथा बीड़ी फैक्टरियों के कर्मचारी इस में आते हैं धारा २(३) के अधीन राज्य सरकार किसी अन्य कठिन व्यवसायों के कर्मचारियों की श्रेणी को अनुसूची में जोड़ सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी न्यूनतम मंजूरी अधिनियम है जिस के अधीन इस श्रेणी के कर्मचारी आते हैं।

प्रतिकर देने में विलम्ब के, संबंध में हममें से कुछ अनुभव करते हैं कि विलम्ब होते हैं। राज्य सरकारें अपने आयुक्तों के द्वारा काम कर रही है, जो राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और प्रतिकर संबंधी विलम्ब की बातें राज्य सरकारों को बताई जाती है। हम उनका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। कुछ राज्यों, मद्रास और आंध्र में हम अफसरों की संख्या बढ़ा कर लम्बित मामलों को निपटाने के लिये कह रहे हैं। सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा और इस का अधिनियम की कार्यान्विति संबंधी इस त्रुटि की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जायेगा

श्री बूटा सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने व्यापक विधेयक लाने के लिये कहा है। मैंने बताया है कि कितनी बार इसमें संशोधन किया गया है। प्राप्त अनुभव के आधार पर जो इस की कार्यान्विति से प्राप्त होता रहा है। अधिनियम में सुधार हमेशा किया जाता रहता है। वास्तव में, मैंगनेज द्वारा विषाक्तता हमने जोड़ी थी। हमने जांच करके इसे जोड़ना जरूरी समझा।

श्रम मंत्रालय का अनुसंधान अनुभाग वहां उपयोगी काम कर रहा है। हम श्रमिकों संबंधी समस्याओं के साहित्य को पढ़ते रहते हैं। हम वैज्ञानिक संसार में होने वाली उन्नति को अपनाने का प्रभुत्व करते रहते हैं। एक संस्था भी स्थापित की गई है दुर्घटनाओं का संबंधी अनुसंधान के लिये। केन्द्रीय श्रम संस्था तथा तीन प्रादेशिक श्रम संस्थायें उद्योगों में मानवतत्व संबंधी विविध मामलों का अध्ययन करने के लिये कायम की गई हैं।

श्री अ० प० शर्मा मजूरी सीमा को बढ़ाने की बात कह रहे थे उनका कहना था कि इसे ५७५ रुपये तक बढ़ाया जाये। ४०० से ५०० रुपये तक तो हम चलते ही हैं। कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनका क्रय ३५०–५७५ रुपये है। निम्न आय वर्गों के मामलों पर अधिक ध्यान दिया ही जाता है उनके मामले में देय प्रतिकर की दर उच्च आय वर्गों की अपेक्षा अधिक है। २ अक्टूबर १९६१ को भारतीय श्रम सम्मेलम हुआ था। उस सम्मेलन द्वारा एक समेकित सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रश्न पर विचार किया गया था। बहुमत इस बात के पक्ष में था कि जब तक आय के साधन न बढ़ें तब तक यह योजना प्रारम्भ नहीं की जानी चाहिये। अक्टूबर, १९६२ में स्थायी समिति द्वारा इस मामले पर अग्रेतर विचार किया गया और इसे तीन वर्ष के लिये स्थगित कर दिया।

कागज के उद्योग में तथा चीनी उद्योगों के बारे में शब जन्य बीमारी (बेगासोसिस) को व्यावसायिक रोगों की सूची में अनुसूची ३ में सम्मिलित हैं। स्थिति यह है कि अपंग हो जाने अथवा मृत्यु के मामले में अधिकांश नियोजक उसके आश्रितों को रखने के प्रश्न पर विचार करते हैं। परन्तु मेरा यह कहना है कि इस मामले का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पर अभी हमारा विचार और आगे विचार करने का है।

श्री दुबे ने मैंगानीज के विष के बारे में उल्लेख किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात की है। कई बार कानून बनाने और संशोधन होने में कुछ कमी रह जाती है। यह भी कहा गया है, आज की उच्ची कीमतों के कारण मुआवजा बहुत थोड़ा है। सारे मामले पर जांच करने से पता चला है कि सीमेंट उद्योग के मजदूरों के टी० बी० रोग का कारण व्यावसायिक कठिनाई बताना बहुत ठीक नहीं है। जहां तक बीड़ी का संबंध है, हम जांच करवायेंगे। रश्मि विकिरण जिससे आदमी अंधा हो जाता है, सम्मिलित की ही जा चुकी है इसके अतिरिक्त रेयन कारखानों के संबंध में विभिन्न सुरक्षा उपाय किये गये हैं। फाउंडरियों के बारे में भी और कारखाने से बाहर हुई दुर्घटनाओं के बारे में भी पूरी पूरी व्यवस्था है। मेरे विचार में मैंने सब बातों का समुचित उत्तर दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेवक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से १० तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से १० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ११—(अनसूची ३ का संशोधन)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५,—

पंक्ति ३ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

'11. In Schedule III of the principal Act.---

(a) in Part A, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely :---

"Poisoning by Organic phosphorus insecticides.	Any process involving the use or handling or exposure to the fumes dust or vapour containing any of the organic phosphorus insecticides.";

(b) in Part B,---"

["११, मुख्य अधिनियम की अनुसूची ३ में,—

(क) भाग क में वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न लिखित प्रविष्टियां रख दी जायें, यथा —

ओरगैनिक फासफोरस कृमिनाशकों द्वारा विष	**ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें किसी ओरगैनिक फासफोंस कृमिनाशक का उपयोग अथवा प्रयोग या उसका धूआं, धूल अथवा भाप में मिल जाना शामिल है ।**

(ख) भाग ख में,–।" (१)

पृष्ठ ६,—

१ से ६ तक पंक्तियां हटा ली जायें (२)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'11. In Schedule III of the principal Act,---

(a) in Part A, after the existing entries, the following entriets shall be inserted, namely :---

---

†मूल अंग्रेजी में

"Poisoning by Organic phosphorus insecticides.	Any process involving the use or handling or exp sure to the fumes dust or vapour containing any of the organic p hosphorus insecticides.";

(b) in Part B.---"

["११, मुख्य अधिनियम की अनुसूची ३ में,—

(क) भाग क में वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न लिखित प्रविष्टियां रख दी जायें, यथा—

ओरगैनिक फासफोरस कृमिनाशकों द्वारा विष	ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें किसी ओरगैनिक फासफोंस कृमिनाशक का उपयोग अथवा प्रयोग या उसका धूआं, धूल अथवा भाप में मिल जाना शामिल हो ।

(ख) भाग ख में,–।" (१)

पृष्ठ ६,—

१ से ६ तक पंक्तियां हटा ली जायें (२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोयदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बहु एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि बहुएकक सहकारी समितियां अधिनियम १९४२ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामधर मिश्र]

यह बहुत ही छोटा, सरल और अविवादस्पद विधेयक है, जिसे एक तकनीकी कठिनाई के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]।

सहकारिता का विषय राज्यों का विषय है। अतः १६५२ में बहुएकक सहकारी समितियां अधिनियम पारित किया गया था। इस के बाद १६५६ और १६५६ में इस में संशोधन किया गया। तो आज जो स्थिति है उस के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ सहकार समितियां बहु-एकक समितियां बन गयी। वर्तमान अधिनियम के अनुसार किसी वस्तु बहु-एकक सहकार समिति की आस्तियों और मामलों का हस्तान्तरण केवल किसी नयी समिति को ही हो सकता है तथा किसी विद्यमान सहकार समिति को नहीं। उस से कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। खंड २ के अन्तर्गत एक सक्षम उपबन्ध किया जा रहा है, जिस के अन्तर्गत ये आस्तियां की दायिताएं किसी विद्यमान समिति को भी हस्तान्तरित हो सकते है। और समिति इस के बारे में संकल्प स्वीकार कर लेगी। जो नियम बनाये गये हैं उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रख दिया गया है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : यह बड़ा सरल सा संशोधन विधेयक है जिसकी राज्य पुनर्गठन के कारण आवश्यकता हो गयी है। और भी कठिनाईयां थी। किसी समिति के विघटन तथा विलय के समय सर्व समिति के बनाने वाले सदस्यों के हितों का भी ध्यान रहना चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की हानि न हो। इस बारे में उन से परामर्श भी कर लेना चाहिए। अंशदारों के हितों का ध्यान रखने के सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में सहकारिता का महत्व बढ़ रहा है। आपातकालीन स्थिति में विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो संस्था राज्य पुनर्गठन से पूर्व काम कर रही थी उनको पुनः संगठित करना होगा। एक तकनीकी मामला है जिसे ठीक करना ही है परन्तु मेरा निवेदन है कि कठिनाइयों को तो दूर करना ही चाहिये। परन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी समिति की आस्तियों तथा दायित्वों का हस्तान्तरण ऐसी समिति को ही किया जाये जो उसी प्रकार का काम करती है। ऐसा करना उस समिति के भली प्रकार कार्य करने में सहायक होगा। मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करती हूं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आया कि इसको लाने में मंत्री महोदय ने इतने सालों का समय क्यों लिया। स्टेट्स रिआरगनाइजेशन सन् १६५६ में हुआ और उसके बाद दक्षिण भारत में जो स्टट्स वजूद में आयीं उनको इस प्रकार के कानून के न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा।

मैं अपनी स्टेट की मुश्किलात आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि हमारे यहां असेट्स और लाइबिलिटीज के ट्रांस्फर में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैसूर स्टेट में जो तीन जिले हैदराबाद के थे और चार जिले बम्बई स्टेट के थे उन में यह कठिनाई खास तौर से सामने आयी। इन जिलों में मैसूर में शामिल होने से पहले सोसाइटीज़ काम करती थीं उन के असेट्स और लाएबिलिटीज़ के ट्रांस्फर.

---

†मूल अंग्रेजी में

में कठिनाई हो रही है। हैदराबाद के जिलों की कोआपरेटिव सोसाइटीज के १८ लाख लाख रुपये के क्लेम है और उस के बारे में डाइरेक्टरों को कोर्ट में भी जाना पड़ा। यह झगड़ा चार पांच साल से चल रहा है लेकिन इसका कोई तस्फिया नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि इस कानून के अमल में आने के बाद इंटर स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज के असेट्स और लाएबिलिटीज के ट्रांस्फर की जो मुश्किलात है व दूर हो जाएंगी। और यदि माननीय मंत्री महोदय के पास ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज के असेट्स और लांएबिलिटीज के बारे में कोई आंकड़े हों, जिन के बारे में कि स्टेट्स रिआरगनाइज़ेशन के बाद असेट्स और लाइएबिलिटीज के ट्रांस्फर के बारे में झगड़ा है, तो वह उनको सदन के सामने रख दें, । यह बहुत मुनासिब होगा। मैं चाहता हूं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि जो जिले दूसरी स्टेट्स में चले गए है उन के असेट्स और लाएबिलिटीज का बटवारा हो जाए। ऐसा न होने से बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिये इस पर तेजी से अमल किया जाए।

†**श्री श्याम धर मिश्र** : श्री गौरी शंकर कक्कड़ ने जो बात कही है उस के बारे में मेरा निवेदन है कि जो समिति आस्तियों तथा दायित्वों को ग्रहण करती है, उसे एक संकल्प पारित करना होता है तथा उसी हालत में उसे हस्तान्तरण हुआ लागू समझा जाता है। इस के लिए किसी राज्य विशेष के 'रजिस्ट्रार' का सन्तुष्ट होना जरूरी है कि आस्तियों तथा दायित्वों का हस्तान्तरण उस राज्य में कार्य कर रही समिति के कार्यक्रम, उद्देश्यों तथा सदस्यता की शर्तों के अनुसार है।

जहां तक कठिनाइयों का सम्बन्ध है किसी अन्य समिति द्वारा आस्तियों और दायित्वों के लेन के मार्ग में कोई विधिक रूकावट नहीं है, चाहे वह विशेष रूप से उसी क्षेत्र में कार्य न भी कर रही हो। इतना ही करना होता है कि उस बारे में केवल एक संकल्प पारित करना होता है। इसके अतिरिक्त उस राज्य विशेष के रजिस्ट्रार का सन्तुष्ट होना भी जरूरी है जिस में बहु एकक समिति का प्रधान कार्यालय है।

यह कोई विवादास्पद विधेयक नहीं। इस में केवल ३ खण्ड है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि बहु एकक सहकारी समितियां अधिनियम, १९४२ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडों पर बिचार करेंगे :

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री श्याम धर मिश्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परिसीमन आयोग विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक–सभा की सीटों के राज्यों में आवंटन प्रत्येक राज्य की विधान सभा कि कुल सीटों, लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन–क्षेत्रों में बांटने का पुनः समायोजन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक संविधान के अनुच्छद ८२ और १७०(३), जिन में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक सभा की सीटों के राज्यों में आवंटन और राज्यों की विधान सभाओं की कुल सीटों का समायोजन किया जायेगा, के अनुसरण में पेश किया गया है।

इस संबंध में सब से पूर्व मैं विधेयक के खंड २ में दी गयी 'राज्य' की परिभाषा को बताता हूं। यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर राज्य और नागा लेंड राज्य पर लागू नहीं होंगे। यह इस लिये लागू नहीं होगा क्योंकि वहां जम्मू और काश्मीर आदेश १९५४ लागू है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति वहां की राज्य सरकार की सिफारिश पर लोक सभा के सदस्य मनोनीत करते हैं। इसी तरह यह नागा लैंड पर इस लिये लागू नहीं होगा क्योंकि इस राज्य में अभी तक संविधान के सुसम्बध संशोधन का अनुसमर्थन नहीं किया है। नागा लैंड राज्य अधिनियम में यह व्यवस्था है कि इसका संसदीय चुनाव क्षेत्र एक ही होगा और इसे ६० विधान सभाई चुनाव क्षेत्रों में बांटना होगा। चुनाव आयोग का अस्तित्व आरम्भ हुआ ही तो विधान सभाई चुनाव क्षेत्र के बारे में अपना काम आरम्भ कर देगी।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह विधेयक संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि संघराज्य नहीं हैं। संसद ने विधि-द्वारा उपबन्ध किया है कि इन २० स्थानों का आवटंन किस तरह इन संघ राज्य क्षेत्रों में किया जायेगा। यह आप को याद होगा कि पांडिचेरी को अब तक कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, क्योंकि यह राज्यों द्वारा संविधान (चौदहवां संशोधन) के अनुसमर्थ पर निर्भर है और संघराज्य क्षेत्रों को दिये गये २० स्थान पहले ही भरे जा. चुके हैं। संविधान के चौदहवें संशोधन में सुझाव है कि संख्या २० से २५ तक बढ़ा दी जाये। जब ऐसा हो जायेगा तो इस बड़ी हुई संख्या के आवंटन का प्रश्न भी लिया जायेगा। यही कारण है कि यह विधेयक जम्मू काश्मीर, नागालैंड और संघराज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

मोटे तौर पर यह विधेयक १९६२ के अधिनियम की प्रणाली यह है सिवाय कुछ परिवर्तनों के जोकि संविधान के संशोधन के परिणामस्वरूप हुए हैं। सामान्य सिद्धांत भी उसी अधिनियम से लिये गये हैं। किन्तु जो अन्तर किये गये हैं क्योंकि दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र अब नहीं रहे। अब निर्देश एक सदस्य वाले निर्वाचनक्षेत्र की ओर है। १९५२ के अधिनियम में बताया गया है कि विभिन्न

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों से कितने सहयोजित सदस्य होंगे। यह संख्या पर है। यदि यह ७५,००० से अधिक है, तो यह एक निश्चित संख्या ७ होगी। अतः विभिन्न राज्यों में संख्या भिन्न भिन्न होगी। तीन लोक सभा के प्रतिनिधि होंगे जिन्हें अध्यक्ष नामजद करेगा और राज्य विधान सभाओं के चार सदस्य संबंधित विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा नामजद किये जायेंगे।

एक अन्य अन्तर समायोजन तथा परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में है। जहां तक स्थानों की संख्या नियत करने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं होगी। विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और आदिम-जातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में बांट दिया जायेगा और संभवतया ऐसे क्षेत्रों में रखा जायेगा जहां इन जातियों के लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने में आयोग इस सिद्धांत के अनुसार काम करेगा।

विधेयक की मुख्य सिफारिशें ऊपर बता दी गयी हैं। संवैधानिक परिवर्तनों को छोड़ कर यह मुख्यतया १९५२ के विधेयक की तरह का है।

संशोधनों का उत्तर मैं उचित अवस्था पर दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री कामत के संशोधनों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद ८२ के अनुरूप है। किन्तु मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या परिसीमन उद्योग तुरन्त काम करना शुरू कर देगा या १९६४ में शुरू होगा और क्या आयोग के कर्मचारियों को अविलम्बनीय प्रतिरक्षा काम में लगाया जायेगा। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि यह काम अभी नहीं शुरू किया जायेगा और पदाधिकारियों की सेवा का ठीक ठीक उपयोग किया जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यह अच्छा है कि चुनाव-क्षेत्र के परिसीमन का काम शुरू किया जाने वाला है, जोकि बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था।

परिसीमन आयोग के काम में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को सहयोजित किया जाना अच्छा है परन्तु उन की संख्या थोड़ी होने के कारण यह संदिग्ध है कि सभा के सभी वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। अतः सहयोजित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी दी जानी चाहिये।

चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का मुख्य आधार संचार-साधन होना चाहिये।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अनेक चुनाव-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को उचित तथा न्यायसंगत स्थान सुरक्षित की जायें। कई असुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या सुरक्षित चुनाव-क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है।

यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : विधेयक को पारित किया जाये परन्तु इसे क्रियान्वित करने का वास्तविक कार्य कुछ समय तक रोक दिया जाये क्योंकि प्रशासकीय व्यवस्था युद्ध संबंधी प्रयत्नों में संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

यह अधिक अच्छा होगा यदि परिवर्तन क्षेत्रों में परिवर्तन न किया जाये।

निर्वाचक नामावली में निर्वाचन क्षेत्र के गावों के डाकखाने दिये जाने चाहिये ताकि उम्मीदवार डाक से अपने मतदाताओं में सम्पर्क स्थापित कर सकें। सरकार को यह बताना चाहिये कि खण्ड ९ (१) (क) में वर्णित 'प्रशासकीय एकक जिला होगा या पंचायतों जैसे छोटे एकक? यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि खण्ड ९ के उपखण्ड (१) (घ) में जो सब से बड़ा 'शब्द आया है उसका तात्पर्य जिले से है या सारे राज्य से।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से जो २८ नवम्बर, १९६२ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से जो २८ नवम्बर, १९६२ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

समवाय (संशोधन) विधेयक

धारा १५, ३० आदि का संशोधन

श्री प० ला० बारूपाल : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री प० ला० बारूपाल** : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर (संशोधन) विधेयक

(धारा २ का संशोधन)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि आयकर अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

कि आयकर अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

अनुच्छेद २२६ का संशोधन

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन ३१ अगस्त, १९६२ को श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा । मैं समझता हूं कि उनका भाषण समाप्त हो चुका है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)**: जैसा कि सदन को मैं बता चुका हूं संविधान के अनुच्छेद २२६ में संशोधन करने के लिए सरकार संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित कर चुकी है । सरकार का संशोधन इस विधेयक से अधिक लम्बा और व्यापक है । उच्चतम-न्यायालय ने अनुच्छेद २२६ के बारे में दो कठिनाइयां बतलाई हैं । श्री शर्मा का विधेयक उन कठिनाइयों को दूर नहीं करता । इस विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि यदि कोई आदेश राज्य के अन्दर जारी किया जाये—उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में—तो उच्चतम न्यायालय को उस आदेश के विरूध लेख याचिका सुनने का अधिकार होना चाहिये, किन्तु यह उपबन्ध पूरा नहीं है । यदि आदेश दिल्ली में जारी किया जाता है और इसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित किया जाता है तो उच्च-न्यायालय उसे नहीं सुन सकता । इस लिए हम ने 'कार्यवाही का कारण' शब्द संविधान (संशोधन विधेयक) में रख दिये हैं । आदेश जारी करने वाला प्राधिकार कोई भी हो, यदि कार्यवाही का कारण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, में उत्पन्न होता है, तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

चाहे वह क्षेत्राधिकार उस पर लागू होता हो या नहीं, तो उच्च न्यायालय लेख जारी करने के सूक्ष्म होगा । इसलिए उच्च न्यायालय को पहले से अधिक अधिकार दे दिये गये हैं, जोकि वर्तमान विधेयक में भी बहुत अधिक है । अब उसी व्यक्ति को पंजाब उच्च न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह उसे राज्य के क्षेत्रीय अधिकार में किया जा सकता है, जहां कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ हो। इसलिए मेरा निवेदन हैकि विधेयक आवश्यक है और सदन की अनुमति से वापस ले लिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ

पक्ष में ५; विपक्ष में ८६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

धारा १४ से २० को संशोधन तथा नयी धारा ४८-क का रखा जाना

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इसके लिए कितना समय रखा गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : २ घंटे ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दिल्ली किराया अधिनियम में संशोधन करने का यह जो विधेयक है यह एक साधारण किन्तु अत्यावश्यक बिल है । वर्तमान अधिनियम में किरायेदारों को जो कठिनाइयां और परेशानियां हो रही हैं इस ऐक्ट को संशोधित करने से वे दूर हो जायगे और इसीलिए मैं यह संशोधन विधेयक लाया हूं ।

दिल्ली में आज जितने भी लोग रहते हैं उन में अधिकांश लोग किराये के मकानों में रहते हैं। किरायेदारों और मकान मालिकों में झगड़े प्राप्त देखने में आते हैं। आज भी अदालतों में जा कर देखिये तो पाइयेगा कि और दूसरे झगड़े इतने अधिक नहीं हैं जितने कि मकानमालिकों और किरायेदारों के झगड़े हैं। हमारा जो पुलिस गका विभाग है उस में भी रोज रोज इस तरह के झगड़े हैं। हमारा जो पुलिस का विभाग है उस में भी रोज रोज इस तरह के झगड़े जाते रहते हैं। उन झगड़ों के कारण हमारे प्रशासन में भी काफी अस्त-व्यवस्तता है ।

वर्तमान ऐक्ट की १४ और २० नम्बर की धाराओं से एक बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती है । जिस समय दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम बना तो उस में यह कमी

---

†मूल अंग्रेजी में

रह गयी, कमी नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि उस में मकान-मालिकों के लिए एक छूट दे दी गई और उस छूट का उन्होंने नाजायज फायदा उठाना आरम्भ कर दिया । छूट यह दी गई कि कोई भी मकानमालिक अपने मकान का दुबारा निर्माण कर सकता है, दुबारा बनायेगा तो उस में यह आवश्यक नहीं; खाली उस में यह उल्लेख कर दिया गया कि वह उसे पुराने किरायेदार को देगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं किया कि वह उस दुबारा बने मकान को फिर उसी को दे देगा । श्रीमन्, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मकानमालिक अदालतों में जाते हैं और वहां पर जब कोई पेश नहीं बन पड़ता है तो उस अवस्था में वह एक फैसला करने के लिए अदालत से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैं इस में इस मकान को जब दुबारा बनाऊंगा तो मैं उन्हीं को वापिस दे दूंगा । देखने में यह बात बहुत अच्छी लगती है और अच्छी है भी किन्तु कार्य रूप में प्रैक्टिस में यह बात होती नहीं है। बहुतसी बातों का मुझे निजी अनुभव है और मैं अपने उस अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि न्यायालय में फैसला हुआ और फैसले में यह कहा गया कि आप जब मकान बनायें तो अपने किरायेदार को फिर से मकान दे दें । अनुमान कीजिये कि एक डाक्टर है और वह एक मकान में रहता है और प्रैक्टिस भी करता है तो उस के लिए यदि यह फैसला कर दिया जाता है कि मकान बन जाने पर उस को दुबारा मकान दिया जायेगा, अब मकान बनने से पहले वह जो किरायेदार रहता है मान लीजिये कि वह १० रुपया महीना बतौर किराया देता है लेकिन जैसे ही मकान दुबारा बन कर तैयार होता है तो मकानमालिक १० रुपये की जगह १०० रुपये मांगने लगता है । आप उस किरायेदार का खयाल कीजिये, जो बड़ी कठिनाई से महीने में सौ रुपया कमा पाता है और जो दस रुपया किराया देता है । यदि अदालत यह फैसला दे दे कि यह मकान बनने के बाद पुनः उस को मिल जायेगा, तो वह इसी आशा में कहीं पर अधिक किराया दे कर दो चार महीने रहता है। जब मकान बन जाता है, तो वह मकान-मालिक से प्रार्थना करता है, "श्रीमन्, आपने अदालत में मुझ से वादा किया था, इसलिए आप मुझे यह मकान फिर किराये पर दीजिये"। इस पर मालिक मकान कहता है, "हां भई, मकान आपका है । आप इसको किराये पर ले लीजिए—आप इसको किराये **पर** ले सकते हैं, किन्तु चूंकि मैं ने इस मकान पर पैसा लगाया है, अतः अब आपको सौ रुपया महीना देना पड़ेगा" । किरायेदार बेचारा कहता है "मैं दस रुपए मंहीने पर इस मकान में रहता था । अगर आपने इस को फिर बनवाया है, तो आप बारह रुपए ले लीजिए, पन्द्रह रुपये ले लीजिए। मैं सौ रुपया महीना तो कमाता हूं, सौ रुपया मैं कैसे दूं? अगर मैं सौ रुपया दूंगा, तो मेरा गुजारा कैसे होगा?"

एक और बात इस में उत्पन्न होती है । मान लीजिए कि एक डाक्टर है । वह उस मकान में रहता भी है और वहां पर प्रैक्टिस भी करता है । इस अवस्था में यदि मकान-मालिक यह कहे कि मैं ने तो यह मकान उन के रहने के लिए दिया था, प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया था, तो उस में भी यह विवाद उत्पन्न होता है। उस के निराकरण के लिए भी मैं ने संशोधन रखा है ।

एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। किरायेदार तो रिहायशी मकान में रहता है, लेकिन मकान-मालिक कार्पोरेशन या म्यनिसिपैलिटी के पास जाता है और चेंज कर के रिहायशी मकान की जगह दूकानों का नक्शा दे देता है । वह नक्शा पास हो जाता है और वे दुकानें बन जाती हैं। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति उस रिहायशी मकान में रहता था, वह उन दुकानों में नहीं रह सकता और इसलिए उस को वह मकान फिर नहीं मिल सकता ।

[श्री नवल प्रभाकर]

इस सम्बन्ध में अधिकतर कठिनाई डाक्टरों, वकीलों और इसी तरह के पेशों के लोगों की है । मैं आपके सामने एक डाक्टर का उदाहरण रखना चाहता हूं । वह एक बहुत अच्छे मकान में रहता है, जिस की अवस्था बहुत अच्छी है । किन्तु मकान-मालिक को इस बात की जिद है कि वह उस को निकाले और इसके लिये वह अदालत में गया। अदालत में किरायेदार ने बहुत आग्रह किया, बहुत प्रार्थना की कि "श्रीमन्, आप उस मकान को देख लीजिए, उस की अवस्था को देख लीजिए । उस की अवस्था ऐसी है कि वह अभी पचास बरस तक और चल सकता है । किन्तु अदालत में कुछ इस तरह के निर्णय हुए हैं कि मकान की अवस्था अच्छी होने पर भी मकान-मालिक को इस बात की इजाजत दे दी गई कि वह उस को फिर बनाए और फिर उस किरायेदार को किराये पर दे, क्योंकि मकान-मालिक ने नक्शा पास करा लिया और वह उस को फिर बनाना चाहता था।

पिछले दिनों यहां पर एक विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान में यह कहा गया था कि कार्पोरेशन में कितनी करप्शन है, इस को सब जानते हैं। ऐसा भी होता है कि यद्यपि मकान की अवस्था बहुत अच्छी होती है, लेकिन मकान-मालिक कार्पोरेशन के अधिकारियों से मिल कर, उन को प्रसन्न कर के, इस आशय का नोटिस दिला देते हैं कि मकान की अवस्था ठीक नहीं है, इसलिए आप इस को दोबारा बना लीजिए । मकान-मालिक इस तरह का नोटिस दिलवा देते हैं और फिर नक्शा पेश कर देते हैं । इस के बाद वे अदालत में जा कर न्यायाधिकारी महोदय को कहते हैं कि "कार्पोरेशन से यह नोटिस मेरे पास आया है । इस मकान की अवस्था बड़ी जराजीर्ण है, यह गिरने वाला है। अगर कल को यह गिर गया, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। इसलिए इस को दोबारा बनाने की इजाजत दी जाये।" किसी प्रकार से उन को मकान को दोबारा बनवाने की इजाजत मिल जाती है । जैसे ही वह इजाजत मिलती है, उनकी बांछें खिल जाती हैं। और वे अपने किरायेदार को निकालने में सफल हो जाते हैं।

हालांकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र वाह्य दिल्ली में है और वह वाह्य दिल्ली का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वहां भी आज ऐसी अवस्था है कि जैसे ही दोबारा मकान बन जाता है, पगड़ी शुरू हो जाती है । एक मकान या दुकान के बनने में जितना खर्च आता है, उसका दस गुना पगड़ी के रूप में वसूल कर लिया जाता है । वहां पर अजमलखां रोड एक जगह है, जहां पर एक अच्छा और बहुत खूबसूरत बाजार है । मुझे बताया गया है कि वहां पर बारह या चौदह फीट लम्बी या दस फीट चौड़ी दोबारा बनाई गई एक दुकान की पगड़ी चालीस हजार से लेकर साठ हजार रुपये तक ली जाती है और उस व्यक्ति को मुसीबत झेलनी पड़ती है, जोकि पहले वहां पर किरायेदार के रूप में रहता था । न तो उसके पास पगड़ी का रुपया है, न वह इतना किराया दे सकता है और न ही मकान-मालिक उससे कोई समझौता करने के लिये तैयार है।

मैंने यह सुझाव दिया है कि इन दोनों धाराओं का संशोधन होना चाहिये, ताकि हम किरायेदारों के साथ न्याय कर सकें । किरायेदार गरीब हैं, जबकि मकान-मालिक हर सूरत में मालदार होता है । उसके पास पैसा होता है, तभी वह मकान बनाता है । किरायेदारों के साथ न्याय करने के निमित्त मैंने सुझाव दिया है कि जब किसी मकान को दोबारा बनाया जाये, तो यह अनिवार्य, कम्पलसरी, कर दिया जाये कि वह मकान पहले किरायेदार को ही मि और अगर मकान-मालिक किसी कारण से उसको नहीं देना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में किरायेदार को कम्पेन्सेशन के रूप में कुछ दिया जाये, ताकि वह किसी दूसरी जगह जा सके।

आज व्यवस्था यह है कि चांदनी चौक के इलाके में जो व्यक्ति किसी मकान या दुकान में पचास बरस से दो, तीन रुपये के किराये पर बैठा हुआ है, यदि उसको निकाल दिया जाये, या उस मकान या दुकान को दोबारा बनाने की इजाजत दे दी जाये, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को, उस मजदूर को, किसी दूसरी जगह जाकर बहुत अधिक किराया देना पड़ता या उसको कानून तोड़ कर किसी गन्दी बस्ती को आबाद करना पड़ता है। आज के जमाने में दो रुपये तो क्या, पांच दस रुपये में भी वह मकान दोबारा नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में ऐसे लोग क्या करते हैं कि वे शहर के बाहरी हिस्से में कहीं न कहीं सरकारी जमीन पर बैठ जाते हैं और इस प्रकार एक नई स्लम को क्रिएट करते हैं। जब गन्दी बस्ती बन जाती है, तो सरकार की परेशानियां बढ़ती हैं। चूंकि वे लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, इसलिये उनको नोटिस दिये जाते हैं। फिर एक जमाअत खड़ी हो जाती है, जो यह कहती है कि उन लोगों को वहां से न हटाया जाय, अन्यथा उन को कोई दूसरी जगह दी जाय।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज दिल्ली में जिन स्लम्ज या गन्दी बस्तियों का निर्माण हुआ है, उनमें रहने वाले अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनको मकान-मालिकों ने निकाल दिया है और जो दूसरी जगह ज्यादा किराया देकर उसी तरह की एकामोडशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण अदालतों में मुकदमे चलते हैं और सरकार की परेशानियां बढ़ती हैं। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार को इन दो धाराओं में संशोधन करना चाहिये। इनका संशोधन करने से दिल्ली के अन्दर रहने वाले एक बहुत बड़े भाग पर इसका असर पड़ेगा। मैं मानता हूं कि जो मकान-मालिक हैं, उनको इस पर एतराज हो सकता हैं। उहोंने एतराज किये भी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि यह जो बिल आप पेश कर रहे हैं, हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने कहा जनाब, यह तो उन लोगों के लिये है जो मालिक-मकान ज्यादती करते हैं। हर मालिक मकान का यह ख्याल है कि यह बिल उसके ऊपर कुठाराघात करने वाला है। मैंने जब उनको समझाया और कहा कि यह सभी मालिक मकानों के लिये नहीं है बल्कि उनके लिये ही है जो धोखा देते हैं या जिनकी नीयत खराब होती है और जो किरायेदार को निकालने के लिये तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, षड़यंत्र रचते हैं तो उनकी समझ में मेरी यह बात आ गई। किन्तु आप जानते हैं कि वर्गभेद वाली बात सुनने में आ जाती है। जब इस तरह की बात होगी तो मकान-मालिकों का एक वर्ग हो जाता है और किरायेदारों का दूसरा वर्ग हो जाता है।

मैं मानता हूं कि मकान मालिकों और किरायेदारों में झगड़े हो सकते हैं और इनमें किरायेदारों की भी ज्यादतियां हो सकती हैं। अगर किरायेदार ज्यादती करता है और किराया अदा नहीं करता है तो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर वह तीन महीने तक किराया न दे तो उसको चौथ महीने में निकाला जा सकता है। यह एक ऐसी धारा है जो मकान-मालिकों के लिये दुधारी तलवार के समान है, इसको वे इस तरफ और उस तरफ भी मोड़ सकते हैं। किन्तु यह बिल किरायेदार के लाभ के लिये बनाया गया था और किरायेदार ही इसके नीचे दब कर तड़प रहा है और वह इस सदन से आशा करता है कि जो कमी मूल विधेयक में रह गई है, उसका यह सदन निराकरण करे और उसको राहत पहुंचाये। जब वह विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया था तब हमने उसको यही समझ कर पास किया था कि इससे किरायेदारों को सन्तोष प्राप्त होगा, उनको राहत मिलेगी। किन्तु वस्तुतः उससे किरायेदारों को राहत नहीं मिली है। आज दुबारा मकान बनाने के नाम पर जो किरायेदारों को निकालने की कोशिश की जा रही है और जो यह एक रास्ता मकान-मालिकों को मिल गया है इस रास्ते को

[श्री नवल प्रभाकर]

रोका जाये और किरायेदारों के निकाले जाने पर पाबन्दी लगाई जाये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में जो किरायेदार हैं, उनमें उत्तेजना फैलेगी। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने अभी कहा अदालतों में जब मुकदमे जाते हैं तो उससे सरकार को परेशानी होती है, गन्दी बस्तियां दिन प्रति दिन बनती जाती हैं और उनकी अनेकानेक समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिये सरकार के अपने लाभ में भी यह बात होगी कि वह इस विधेयक के संशोधन को स्वीकार कर ले। यह एक अत्यावश्यक विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर अवश्य विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक श्री नवल प्रभाकर जी ने पेश किया है, इसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

यों तो मकानों की समस्या हमारे पूरे देश में है और बहुत विकट रूप में फैली हुई है और मैं नहीं समझता हूं कि इसका निकट भविष्य में कोई हल निकल सकेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में किरायेदारों को भारी मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ता है। अभी माननीय नवल प्रभाकर जी ने बताया कि किस तरह से किरायेदारों के खिलाफ झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं, मकान बनाने के नाम पर, उनको निकाला जाता है, या कारपोरेशन के लोगों को अपने हक में ले कर गलत तरीके से किरायेदारों को सताया जाता है। इसलिये यह जरूरी है कि यह सदन और माननीय मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें जो दिल्ली शहर में रहने वाले किरायेदार हैं, उनको इन परेशानियों से मुक्ति मिल सके।

मैं आपके सामने अपना खुद का अनुभव रखना चाहता हूं। मैं एक रोज चांदनी चौक में गया था। मैं एक दुकान में बैठा हुआ था। वहां पर मुझे बताया गया कि एक छोटी सी दुकान है जिसकी साठ हजार रुपये पगड़ी मांगी जा रही है और दो साल से वह दूकान खाली पड़ी हुई है। न कोई साठ हजार देता है और न कोई साठ हजार लेता है। मुश्किल से उसको बनाने पर दस पांच हजार लगा होगा जिसकी साठ हजार रुपया पगड़ी मांगी जा रही है। इसलिये जैसा संशोधन में कहा गया है इस किस्म की प्रोविजन इसमें लगनी चाहिये ताकि जो मकान-मालिक हैं, वे आसानी से किरायेदारों को निकाल न सकें और अगर ऐसा नहीं होता है तो लाजिमी तौर पर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जायेगा। आप पुरानी दिल्ली में जायें, आपको हजारों आदमी पेड़ों के नीचे, गलियों में, पुलों के नीचे रहते हुये मिलेंगे। यह हमारे लिये बड़ी लज्जाजनक बात है। एक तरफ तो मकान खाली पड़े रहते हैं और दूसरी तरफ हजारों आदमी झोपड़ों में, पुलों के नीचे या गलियों में रहते हैं, उनको रहने के लिये मकान नहीं मिलता है। मैं घूमता हुआ गया और मैंने लोगों से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि लोग पुलों के नीचे पड़े हुये हैं। अपनी गुदड़ियां उन्होंने बिछा रखी हैं, वहीं पर बाल बच्चे पड़े हुये हैं और जब मैंने किसी से पूछा कि तुम क्या करते हो तो किसी ने कहा मैं सिनेमा के पोस्टर लगाता हूं, सिनेमा का प्रचार करता हूं और किसी दूसरे ने कहा कि मूंगफली बेचता हूं। हजारों की तादाद में लोग इस किस्म की मुसीबतों का मुकाबला कर रहे हैं। किस तरह से वे अपना गुजारा करते हैं और कितनी मुश्किल उनको होती है, यह वही जानते हैं जो इस तरह की परिस्थितियों में रहते हैं, जिनके साथ बीतती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने कहा कि इंजीनियर्ज हैं, डाक्टर हैं, वकील हैं या इस किस्म के छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनके मकानों को खाली कराने से पहल इस बात की छानबीन होनी चाहिये कि दरअसल में मकान बनाने की जरूरत है या नहीं है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि सरकार को किराये भी फिक्स करने चाहियें। बहुत जगहों पर म्यूनिसिपल बोर्डों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किराये फिक्स कर सकते हैं। लेकिन कोई बताता ही नहीं है उनको इसलिये कि अगर वह बतायेगा तो कोई मकान ही उसको नहीं देगा। कोई बताता ही नहीं है कि इतना टैक्स है और उसी के मुताबिक मकान किराया होना चाहिये क्योंकि पहले से प्रामिज कर लिया जाता है कि वह इस तरह की कोई बात नहीं छेड़ेगा और जो भी किराया मांगा गया है, देगा। इन सब चीजों को देखते हुये जो संशोधन लाये गये हैं, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी उनको स्वीकार कर लें ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवल प्रभाकर जी को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने किरायेदारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इस बिल को यहां पेश किया है। मेरी राय यह है कि जिस तरह से यह नारा लगाया गया था कि लैंड मस्ट गो टू दी टिल्लर, उसी तरह से यह भी नारा लगाया जाना चाहिये "दी हाउस मस्ट गो टू दी टैनेंट"। लैंड मस्ट गो टू दी टिल्लर का नारा लगा करके करोड़ों आदमी जिनकी जमीनें थी, अपनी जमीनों से आज दस्तबरदार हो गये हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि "हाउस मस्ट गो टू दी टैनेंट" का भी आज नारा लगना चाहिये। जो लोग जिन मकानों में रह रहे हैं, वे मकान उनकी मिलकियत हो जानी चाहिये ।

इसके अलावा जो किराया लिया जा रहा है, उसमें सब चीजें शामिल होनी चाहियें। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसे साउथ एवेन्यू में होता है कि किराया तो अलग से ले लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा कोई बिजली वाला बिल ले कर आता है, कोई पानी वाला आता है, और बिल लाता है और कोई सर्विस वाला आ जाता है। किरायेदार से ये सब चार्ज अलग से नहीं लिये जाने चाहियें और इनको मालिक-मकान को अदा करना चाहिये। ऐसा करने के लिये मालिक-मकान चाहें तो किराया कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये कि बीस बीस अमीन आ कर खड़े हो जायें और जब पूछा जाये तो कोई कहे कि यह पानी का बिल है, कोई कहे यह बिजली का बिल है और तीसरा कहे कि यह सर्विस का है।

"लैंड मस्ट गो टू दी टिल्लर" का नारा लगा कर करोड़ों आदमियों को बेघरबार कर दिया गया है और आज उनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है जिस में वे राज्जी तक उगा सकें। शहरी जायदाद के बारे में भी ऐसी ही होना चाहिये। "हाउस मस्ट गो टू दी टेनेट"। आज दिल्ली शहर में करोड़ों रुपये की मिलकियत वाले लोग हैं। दिल्ली में ही कितने ही मकान खाली पड़े हुए हैं, कोई उनको देख तक नहीं सकता है। अगर कोई आज साठ हजार या अस्सी हजार रुपया पगड़ी देने वाला आ जाए तो फौरन उसको मकान मिल सकता है और अगर कोई पगड़ी देने वाला न हो तो कह दिया जाता है कि यहां कोई जगह खाली नहीं है।

बापू जी को एक बार तमाम चांदनी चौक के दूकानदारों ने जा कर कहा था कि ये शरणार्थी लोग आए हैं, इन्होंने हमारी दूकानदारी खत्म कर दी है, ये हमारी दूकानों के सामने कपड़े का बिजिनस या दूसरी चीजों का बिजिनेस करते हैं, हमारी दूकानों के आगे बैठ जाते हैं, इसलिये इनको यहां से हटाया जाए, इस में इनको फायदा है, हम को घाटा है। विश्वबन्धु बापूजी ने उनको इसका यह जवाब दिया कि अगर इनको चौराहे पर और पटरियों पर बैठने में फायदा है,

[श्री यशपाल सिंह]

तो आप लोग पटरियों पर बैठ जायें, आपको लाभ होगा और जो उजड़े हुए लोग हैं, इनको आप अपनी दूकानें दे दीजिए। ये जो करोड़ों आदमी उजड़े हुए हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो फौज में लड़ रहे हैं, या जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, या लेखक हैं, या कवि हैं, उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वे अपने मकान बना सकें और मैं समझता हूं कि उनको तथा उनके बच्चों को एकामोडेट करना स्टेट का फर्ज है, गवर्नमेंट का फर्ज है। अगर कोई मिलिट्री में भरती हो गया है और वहां वह लड़ रहा है, या वे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या जो शायरी करता है, या जो लेखक है, अदीब है, उपन्यास लिखता है, या कलाकार है, तो उसने क्या कसूर किया है कि उसको रहने के लिये जगह न मिले। उसको कहीं न कहीं जगह रहने के लिये मिलनी चाहिये। सब को एकामोडेट करना गवर्नमेंट का काम है।

मुझ को एकामोडेट करना सरकार का काम है। जो करोड़ों रूपये की कोठियां खाली पड़ी हुई हैं वे उन लोगों को दी जायें जो कुछ कर सकते हैं। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि मैं दिल्ली में कनाट प्लेस और चांदनी चौक जाता हूं। हजारों भाई लाइन में खड़े रहते हैं। वह लोग लाइन में खड़े रहते हैं जो देश के लिये निर्माण का काम करते हैं। वह इसलिये लाइन में खड़े रहते हैं कि बस नहीं आई है, अगर बस आई है तो टिकट नहीं मिलता, अगर टिकट मिलता है तो बस में जगह नहीं है। इस तरह से वे घंटों घंटों खड़े रहते हैं जो कि निर्माण के काम कर सकते हैं, बहुत से बी० ए० और एम० ए० पास लोग हैं जो खड़े रहते हैं और कारों में बैठ कर ऐसे इनवैलिड आदमी निकलते हैं जो रात रात भर खुलखुल करते हैं, बलगम उगलते हैं, जिनकी धुक-धुकी उखड़ी होती है और बराबर खां खां करते रहते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि "सर-वाइवल आफ दि फिटैस्ट" और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में बैठ कर वह लोग घूमते हैं जिन्होंने जिन्दगी भर रिश्वत ली है और अब बेकार हो गये हैं, जिनके रात रात भर खांसी आती है। और छः छः फुट के जवान भाई और बहन, बी० ए० और एम० ए० लाइन लगा कर खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें बस नहीं मिलती है। असल में सरकार उनके लिये कुछ करना नहीं चाहती। अगर करना चाहती है तो क्यों नहीं एक बनिये के बेटे को कंट्रेक्ट दे देती? अगर दे दे तो आज ही सारा इन्तजाम हो जाय।

मेरा कहना है कि जो लोग लेखक हैं, कवि हैं, योद्धा हैं, लड़ने वाले हैं, सैनिक हैं, उन को एकोमोडेट करना सरकार का काम है। हम भी सरकार का काम करते हैं, राष्ट्र का काम करते हैं। हमारे पास इतनी सम्पत्ति नहीं है कि हम अपने मकानात बना सकें। आज जो करोड़ों रुपये के महलात खाली पड़े हुए हैं उन महलात में उन लोगों को बसाया जाय जो देश के निर्माण का काम करते हैं। आज देश की सम्पत्ति वे लोग हैं जो स्वस्थ्य हैं। जब हम यह कहते हैं कि "साउंड माइन्ड इन ए साउंड बाडी" तब मैं कहता हूं कि चौराहे पर जो सिपाही खड़ा हुआ है, जो रास्ता दिखलाता है सब को, वह हमारे देश की सम्पत्ति है। लेकिन यहां हाल यह है कि ६२ मिनिस्टरों में से हमारे यहां ४२ बीमार हैं। यह क्या देश की रक्षा करेंगे? वह क्या लड़ेंगे और क्या फौज के लिये योद्धा बनेंगे। असलियत तो यह है कि जो बलवान हैं, जो विद्वान हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो लड़ सकते हैं उन को ऐकोमोडेट करना सरकार का काम है। उस का फर्ज है। इस वास्ते जहां हम ने यह नारा लगाया था कि "लैंड मस्ट गो टू दी टिल्लर" उसी तरह से "हाउस मस्ट गो टु दि टिनेन्ट" यह नारा भी लगाना चाहिये।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी को भी इस को स्वीकार

करने में कोई संकोच नहीं होगा। यों तो सभी प्रदेशों में, जहां जहां पर रेंट कन्ट्रोल एक्ट बने हैं, किराये दारों को सुविधायें दी गई हैं, परन्तु मालिक-मकान किसी न किसी बहाने से मकानों को खाली कराने के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं।

जैसा आप जानते हैं, दिल्ली शहर भारतवर्ष का कैपिटल होने के कारण एक विशेष आकर्षण रखता है और जो डाक्टर हैं, जो वकील हैं, जो इन्जीनियर हैं या दूसरे लोग जो इस प्रकार के पेशे करते हैं, वे यहां केवल इसलिये आते हैं कि वे समझते हैं यहां उन को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिये उनका दिल्ली के प्रति ज्यादा आकर्षण है। ऐसे लोगों को अवश्य सुविधा देनी चाहिये। जिस विशेष मोहल्ले में वे व्यवसाय आरम्भ करते हैं वहां उनको सफलता मिलती है, वहां उन की गुडविल रहती है। अगर वे किसी सबब से उस मोहल्ले से हटा दिये जाते हैं तो बहुत बड़ा गलत प्रभाव उन के व्यवसाय पर पड़ जाता है।

यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है उस में यह संकेत किया गया है कि नई इमारत का निर्माण करने के बहाने से किरायेदारों को अदालत के द्वारा बेदखल करा दिया जाता है और उस के बाद नई निर्मित इमारतों में व्यवसाय शुरू कर दिये जाते हैं। यह बात अवश्य बहुत ज्यादा फैली हुई है। इस में ऐसी भी मिसालें मिलेंगी कि मालिक-मकान बहुत लम्बी रकम पगड़ी के तौर पर दूसरों से तय कर लेते हैं और उस के बाद मौजूदा किरायेदारों को बेदखल करा कर जिन लोगों से पगड़ी के रूप में लंबी रकमें मिलती हैं उन को वहीं इमारतें दे देते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने सदन के सामने कहा कि जो किरायेदार बेदखल हो जाता है उस को दिल्ली शहर में या और जगह कोई शरण नहीं मिलती है और शरणार्थियों की तरह पर उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैं समझता हूं कि दूसरी स्टेट्स में जो रेंट कन्ट्रोल एक्ट हैं उन के मुकाबले दिल्ली में किरायेदारों को अवश्य ज्यादा सुविधायें देनी चाहियें।

इस कानून में संशोधन करने के लिये जो विधेयक लाया गया है उस में ज्यादातर उन लोगों को लाभ होगा जो छोटे छोटे सरमाये वाले हैं, जो छोटी छोटी हैसियत वाले हैं और अपनी गुजर अपने छोटे धन्धे कर के ही कर सकते हैं। अगर इस दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो यह न्याय-संगत है कि जो लोग छोटी हैसियत वाले हैं उन को प्रोत्साहन मिले और उन के मकानों को उन से छीना न जाय।

इस विधेयक में यह भी दिया हुआ है कि अगर वास्तव में कोई इमारत इस प्रकार की दशा में हो गई है कि वह गिरने वाली है, अथवा उस की दशा बहुत खराब है, तो उस का मुआयना कराने के बाद और एक सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उस के दुबारा निर्माण की इजाजत दी जा सकती है। परन्तु होता यह है कि अगर कोई शर्त न रक्खी गई तो फिर न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद कि उस पर दुबारा निर्माण करने की आवश्यकता है, फिर इस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं रहती है कि उस इमारत की क्या दशा है, वाकई वह गिराने के का बिल है या नहीं या वाकई वह गिर रही है या नहीं। जब केवल इस प्ली के साथ मुकदमा दायर होता है कि नई इमारत बनानी है तो फिर इसी बिना पर किरायेदार बेदखल हो जाता है। जब तक उस प्रकार का सेंशोधन नहीं आयेगा उस समय तक जो यह अधिकार मालिक मकानों को दिया गया है उस का दुरुपयोग कर के बहुतेरों लोग अपने किरायेदारों को हटाते रहेंगे। मैं तो समझता हूं कि अगर इस प्रकार का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिये, जो कि दिल्ली शहर में रहती है और किसी तरह से अपने बचचों की परवरिश कर रही है, एक सहारा होगा और उन लोगो के लिये बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को

[श्री गोरी शंकर कक्कड़]

स्वीकार कर लें क्योंकि इस में किसी सरकारी पालिसी का भी प्रश्न नहीं है। यह केवल कुछ किरायेदारों को सुविधा देने, की चीज है।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जिन साथियों ने इस संशोधन विधेयक को इस सदन में प्रस्तूत किया है उन से भी मैं प्रार्थना करुंगा कि इस को नानआफिशल विधेयक समझकर वे इसे वापस न ले लें। यह एक ऐसा संशोधन है जो कि वास्तव में जनता का कल्याण करने वाला है और इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है उन को फायदा पहुंचाने वाली चीज है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो यह है जो संशोधन विधेयक आयाहै उस को सदन सर्वसमिति से स्वीकार करे

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे दिल से तो नहीं किन्तु आधे दिल से माननीय सदस्य को, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं।

एक माननीय सदस्य : आधे दिल से ?

श्री राम सेवक यादव : आधे दिल से इसलिये मैं ने कहा है कि अगर वह चाहते हैं कि मैं उन को पूरे दिल से बधाई दूं तो वे इस को वापस न लें।

अक्सर यह देखा गया है कि जब इस प्रकार के विधेयक आते हैं और मुख्यतः सरकारी पक्ष के सदस्य रखते हैं तो अन्गत में उसे वे वापस ही ले लेते हैं। यही भय मेरे मन में है और मैं माननीय सदस्य से चाहूं कि वे मेरे इस भय का निराकरण कर दें।

यह जो दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक है वह बहुत ही सामयिक है और जो किरायेदारों की समस्या है उस की ओर सदन का ध्यान खींचने वाला विधेयक है। और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को और सदन के प्रत्येक सदस्य को इस विधेयक से हमदर्दी होगी। अब अगर कुछ कानूनी अड़चन इसे स्वीकार करने में हो तो उसे माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि इस समय मौजूदा कानून में जो लूपहोल हैं उनको दूर किया जाए और मैं समझता हूं कि जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने दिए हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए तो जो लूपहोल इस समय मौजूदा कानून भें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और उन के दूर होते ही किराए दारों की समस्या भी हल हो सकती है।

पता नहीं, पूरे देश में एक हवा सी है कि कोई भी कानून बनाया जाता है, और अच्छे उद्देश्य से बनाया जाता हैं, तो उस के अन्दर कोई न कोई ऐसी गुंजाइश रख दी जाती है कि जिसका फायदा इस देश के मुट्ठी भर लोग किसी न किसी शक्ल में उठा लेते हैं मिसाल के तौर पर इस कानून में यह व्यवस्था है कि कोई मकान मालिक चाहे तो मकान बनाने के लिए किराएदार को बेदखल कर सकता है या निकाल सकता है। कहने को तो यह उद्देश्य बहुत ही बढ़िया है कि उस मकान जो की खराब हालत में है और गिरने वाला है बनाया जाए, और जब तक किरायेदार बेदखल नहीं किया जाता वह मकान नहीं बन सकता और उस के लिए म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया आदि जो भी इस प्रकार का अधिकार देने वाली संस्था हो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी।

लेकिन हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा समाज कुछ ऐसा भ्रष्टाचारमय हो गया है कि जो अधिकार देनेवाले लोग हैं, वे न जाने किसी असर की वजह से या कुछ पैसे के लालच से गलत तौर पर सरटिफिकेट दे देते हैं और उसी का शिकार आज किराएदार हैं।

इस संबंध में मैं आपको अपने उत्तर प्रदेश की एक मिशाल देना चाहता हूं। वहां एक कानन बनाया गया है कि हरे पेड़ न काटे जाएं। लेकिन उस कानून में एक गुंजाइश छोड़ दी गई कि हरे पेड़ कट सकते हैं अगर उनकी जगह दूसरे पेड़ लगा दिए जाएं। इस के अन्दर एक खास इरादा छुपा हुआ है कि वे पेड़ काटने की इजाजत देना चाहत हैं। कानून का मंशा तो यह है कि हरे पेड़ न काटे जाएं। लेकिन कानून में एक गुंजाइश छोड़ दी गयी है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों से रिश्वत देकर या और तरीके से नाजायज परमिट लेकर धड़ल्ले बगीचों का सफाया हो रहा है, हरे दरख्त कट रहे हैं और उनकी जगह दूसरे पेड़ नहीं लग रहे हैं। वैसी ही स्थिति इस कानून के अन्तर्गत आज यहां के किराएदारों की है। आज उनको सरकारी अफसरों की मंदद से मकान बनाने के बहाने बेदखल करने की भी कोशिश हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय इस उद्देश्य से सहमत हों कि दिल्ली शहर में किरायेदारों की कठिनाइयों को दूर किया जाए तो वे इस संशोधन को, जो कि बहुत मासूम है, स्वीकार कर लें। इसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

इस विधेयक को सदन के सामने लाने का उद्देश्य माननीय सदस्य का यह मालूम होता है कि दिल्ली शहर के उन लोगों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचा जाए जिन के पास मकान नहीं हैं या जिनको बेदखल होने का डर है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से कहूंगा कि कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का एक सर्वे कराए कि कितने मकान ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और कितने ऐसे बड़े-बड़े मकान हैं जिन में काफी जगह है लेकिन उन में एक या दो आदमी रहते हैं। इसके बाद यह व्यवस्था की जाए कि जो मकान पगड़ी आदि न मिलने के कारण खाली पड़े हैं उनको किराएदारों को दिया जाए और अगर कोई आदमी एक बड़े मकान में ठाठ से रहना चाहता है उन पर नियंत्रण लगाया जाए और उस मकान में और लोगों को भी बसाया जाए। इस के बाद आज जो लोग फुट-पाथों पर या सड़कों के किनारे पड़े हैं या गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं उनको अच्छी जगह देने की भी व्यवस्था की जाए। अगर सरकार ऐसा करे तो दिल्ली की समस्या को हल कर सकती है। इस विधेयक में जो संशोधन दिया हुआ है उसको अगर सरकार स्वीकार कर लेती है तो किरायेदारों को जो नाजायज तौर से निकाल दिया जाता है यह समस्या हल हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का दिल से समर्थन करता हूं इस इच्छा के साथ कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे और अगर वह इसे स्वीकार न करें तो उनका परदा या उन के चेहरे का नकाब खोलने के लिये माननीय सदस्य कम से कम इसको वापस न लें।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में कर्मचारियों के लिए और मजदूरों के लिए मकानों की बड़ी समस्या है। मुझे स्वयं भी इसका अनुभव है। मैं पार्लियामेंट का मेम्बर होते हुए भी आज ६ महीने से वगैर मकान के हूं और दूसरे के मकान में रह रहा हूं। जब पार्लियामेंट के मेम्बर की यह हालत है तो दूसरे आदमी की क्या हालत होगी ?

आज जो दूसरे प्रान्तों से या आस-पास के देहात से कर्मचारी आते हैं उनको ठीक मकान नहीं मिलता। और अगर उनको मकान मिल भी गया तो उनको जो सरकार की और से किराया

[श्री कछवाय]

दिया जाता है उस से चौगुने, पांच गुने और छः गुने किराए पर मिल पाता है। इतना देने पर भी मकान बड़ी मुश्किल से मिलता है ।

आज दिल्ली में लाखों की तादाद में ऐसे मजदूर लोग हैं जिनका जमीन बिछौना है और आसमान उनकी चादर है और इस कड़कड़ाते जाड़े में वे अपने बच्चों और परिवार को ले कर पड़े रहते हैं और दूसरी ओर हमारे मिनिस्टर लोग, एक व्यक्ति रहने वाला है, एक परिवार रहने वाला है और इतनी लम्बी कोठी लिये बैठे हैं जिस में ५००आदमी रह सकते हैं। यह हमारी सरकार इस गरीब जनता का नेतृत्व करती है ।

आज जो मकान मालिक सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर या और तरह मकान को नए सिरे से बनवाने का परमिट ले लेते हैं । यह प्रथा बन्द होनी चाहिये । कानून बनाना बड़ा सरल है बहुत अच्छा है और बहुत सीधा है, पर उस पर अमल करना बहुत कठिन है। कानून बन जाता है और हम लोग उसको सर्व सम्मति से पास कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। जब वह कानून लागू होता है तो बड़े-बड़े मकान वाले जिन्हें मकानों से हजारों लाखों की आय होती है, जिनके अंडर में सरकारी कर्मचारी हैं उनको लाखों की तादाद में रिश्वत दे कर अपना काम करवा लेते हैं ।

आज दिल्ली में भारत की राजधानी होने के बाद जो मकानों की समस्या है, वह मैं समझता हूं कि देश के किसी और नगर में नहीं होगी । मुझे अपना अनुभव है कि मुझे ६–७ महीने से मकान नहीं मिला । मैं ने अध्यक्ष महोदय को दरखवास्त दी, मेरे नाम मकान एलाट हो गया लेकिन खाली नहीं होता । हारे हुए एम० पी० उस में रह रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव : किस दल के हैं?

श्री कछवाय : कांग्रेस दल के हैं ?

तो मेरा कहना है कि यह सब बातें ठीक प्रकार से चलनी चाहिए और सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । दिल्ली में जो गड़बड़ी चल रही है वह बन्द होनी चाहिये ।

श्री बेरवा कोट (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो संशोधन आए हैं मैं उन का स्वागत करता हूं। जो बड़े-बड़े आदमी हैं वे मकान मालिकों को ज्यादा रुपया या पगड़ी दे कर मकान लेते है। लेकिन डो बरकर है या जो गरीब मजदूर है वह उतना रुपया नहीं दे सकता, पगड़ी दे सकता हैं। आज जो दिल्ली में इतने लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि जो पुरुषार्थी लोग आए उन में से कुछ के पास काफी पैसा था , उनको मुआवजे का भी काफी रुपया मिल गया। उन्होंने मकान मालिकों को रुपया और पगड़ी देकर गरीबों से मकानों को खाली करवा लिया । उन गरीबों ने दिल्ली से दो चार मील पर जाकर झुग्गी झोंपड़ियां लगा लीं। इस तरह होते-होते ऐसे लोगों की संख्या ५० या ६० हजार तक पहुंच चुकी है और ये लोग झुग्गी झोंपड़ी वालों के नाम से मशहूर हो रहे हैं। गवर्नमेंट उनको भी तंग करती है और रात में जा कर कहीं १६,००० उठा दिये तो कहीं २०,००० उठा दिये। अब इन बेचारे लोगों को तो पहले ही मकान मालिकों ने तंग कर के निकाल दिया है फिर गवर्नमेंट भी इन्हें तंग करती है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि जब तक इन लोगों के बसाने के लिये सरकार द्वारा दूसरा प्रबन्ध न कर कर ले, उन के लिये दूसरे मकान बना न ले तब तक उनको उनके मौजदा ठिकानों से नहीं उखाड़ना चाहिये ।

मकान मालिक लोग करते यह हैं कि मकान दुबारा बनवाने का कारण बतला कर मकान को खाली करवा लेते हैं और इसके लिये वह कारपोरेशन या म्युनिसपैल्टी के दफ्तर में जाकर १०, २० या ४० रुपया देकर नकली सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं कि मकान डिसमैंटिल करना है क्योंकि इसकी मियाद खत्म हो गयी। मकान मालिक डिसमैंटिलिंग के लिये इजाजत ले लेते हैं। अब माकानमालिक करता यह है कि मामूली सा आल्ट्रेशन या ऐंडीशन करवा लेता है और व्हाइटवाशिंग करवा कर किसी मजिस्ट्रट को दिखला कर कह देता है कि यह बिल्कुल नया बन कर तैयार हो गया है। अब यह कौन देखता है कि वाकई वह फिर से बना है या उसमें क्या आल्ट्रेशन या एडीशन हुआ है या महज उसने व्हाइटवाशिंग ही करा कर नया तैयार कर दिया है क्योंकि उनको तो रुपया मिल गया इसलिये वे कुछ जांच नहीं करते हैं। मकानमालिक किरायेदार को तंग करने लगता है। कभी बिजली का कनैक्शन कटवा दिया तो कभी पानी का कनैक्शन कटवा दिया। गरज यह कि किरायेदार को हर प्रकार से तंग करके निकालना चाहता है क्योंकि उससे उसे कम किराया मिलता है और यदि उसको वह निकाल देता है तो बाद में वह उसी मकान को दूसरे शख्स को और जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उन से वह बतौर किराये के १००, १०० और २००, २०० रुपये वसूल करता है। इसके कारण गरीब किरायेदारों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के निर्माण के बाद कोटे में मैंने देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मकान किराये पर नहीं मिलते हैं और उनको विवश होकर धर्मशालाओं में अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। आजकल धर्मशाला में ३ दिन से ज्यादा आदमी ठहर नहीं सकता इसलिये ३, ३ दिन एक-एक धर्मशाला में रह कर तीस दिन गुजारते हैं और फिर दूसरे महीने तीन, तीन दिन एक एक धर्मशाला में रहते हैं। मैंने देखा है कि ६, ६ महीने तक इनकमटैक्स के कर्मचारी इस तरह धर्मशालाओं में घूमते रहते हैं और दिन गुजारते रहते हैं। इनकमटैक्स के जो कर्मचारी कोटा और भुसावल तबदील होकर गये हैं उनको बड़ी ही दिक्कत इस संबंध में उठानी पड़ रही है।

यह दिल्ली रेंट कंट्रोल ऐक्ट के लिये जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं चाहूंगा कि प्रस्तावक महोदय उसको वापिस न लें।

श्रीमती सरोजिनी महिषी (धाखाड़–उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नवल प्रभाकर ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को संशोधित करने के लिये जो अपना संशोधन विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया है उसका उद्देश्य यही है कि बावजूद मौजूदा सेफगार्डस के मकानमालिक मकान के पुनर्निर्माण की आड़ लेकर किरायेदारों को मकान से बेदखल कर देते हैं और फिर दुबारा उनको न देकर ज्यादा किराये पर उठाते हैं, इस तरह का नाजायज फायदा मकानमालिक न उठा सकें और किरायेदारों को तंग व परेशान न कर सकें।

दिल्ली रेंट कंट्रोल ऐक्ट का मूल उद्देश्य यही है कि किरायेदारों को मकान मालिक तंग न कर सकें और नाजायज तौर पर उन्हें बेदखल न कर सकें। साथ ही मकानमालिकों को किरायेदारों से बराबर किराया मिलता रहे। लेकिन इस किराया नियंत्रण कानून को कार्यरूप में लाने और उसको ऐक्जीक्यूट करने में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं और जो उसका मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता है और इसी कारण हम देखते हैं कि लोगों को इस बारे में काफी कठिनाइयां और परेशानियां होती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने किसी मकान में बतौर किरायेदार ५ वर्ष तक वास किया है उनको मकानमालिक तुड़वा कर फिर से बनवाने की आड़ में उस मकान से बेदखल न कर सकें। यह ठीक भी है कि मकानमालिक इस तरीके से किरायेदारों

[श्रीमती सरोजिनी महिषी]

को तंग न कर सकें और बेजा मुनाफा न कमा सकें और मकानमालिकों की इस दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं जहां इसका समर्थन करती हूं वहां साथ ही यह अवश्य निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें वकील डाक्टर्स और इंजीयिर फौर **ए पीरियड आफ फाइव इयर्स**, इन तीन ही लोगों के बारे में कहा गया है। मैं नहीं समझती कि प्रस्तावक महोदय के दिल में इन तीन तरह के लोगों के लिये अधिक आत्मीयता है और दूसरों के प्रति आत्मीयता नहीं है। इसलिये मैं चाहती हूं कि इस तरह की कैटेगेरीज स्पैसिफाई न की जायें वरन् कोई भी आदमी जो बतौर किरायेदार के किसी मकान में पिछले पांच वर्ष से रह रहा हो, यदि कोई भी मकानमालिक किसी बहाने से उनको मकान से हटाने और बेदखल करने का प्रयास करता है तो किरायेदारों के हितों की रक्षा की जाय ताकि वे बेदखल न हो सकें। इसी तरह से जो मकानमालिक अपने पुराने किरायेदारों को मकानों से निकाल कर और उनकी जगह दुकानें बना कर अधिक पैसा कमाना चाहते हैं उनको भी रक्षा मिलनी चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि इसमें किसी भी बिल्डिंग के डिमौलिश करने का आर्डर पास करने से पहले किरायेदारों को उस प्रपोज्ड आर्डर के खिलाफ अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जायगा। इसलिये इसमें जो यह "प्रस्तावित आर्डर के विरूद्ध सुनने का पर्याप्त अवसर देने" का प्राविजन रखा गया है यह ठीक ही रक्खा गया है। स्टन्डर्ड रेंट के बारे में उचित नियंत्रण रक्खा जाय।

तीसरी चीज इसमें यह है कि मकानमालिक दुबारा मकान बनाने के बाद यदि पुराने किरायेदार को वह मकान पुनः नहीं दे सकता है तब उसे किरायेदार को कुछ कम्पेंसेशन देना होगा। लेकिन मैं समझती हूं कि दिल्ली किराया नियंत्रण ऐक्ट की धारा २० (३) में यह भी व्यवस्था है कि जब तक वह उसे डिमौलिश न करे और डिमौलिश करने और रिपेयर्स का काम करने में यदि वह अनावश्यक देरी करता है तो उसे पुराने किरायेदार को मकान वापिस देना पड़ेगा। अगर वह रीजनेबुल टाइम के अन्दर मकान का पुनर्निर्माण पूरा नहीं करता है तो उसे पुराने किरायेदार को वापिस मकान देना होगा। मकानमालिकों को पुराने मकानों की मरम्मत करने और उन्हें ठीक हालत में रखने की सुविधा अवश्य दी गई है लेकिन देखने में यह आता है कि मकानमालिक इसकी आड़ में किरायेदारों को बेदखल करते हैं और परेशान करते हैं जिसको कि रोकने के हेतु यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

मकानों की समस्या विशेषकर दिल्ली में बड़ी गम्भीर है वैसे देखा जाय तो हर शहर में मकानों की समस्या विकट हो रही है और शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी मकानों की समस्या खड़ी हो गयी है। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को मकान मिलने में बहुत दिक्कत अनुभव होती है और वह लोग जब प्राइवेट मकान ढूंढते हैं तो काफी बढ़ा हुआ किराया उनसे मांगा जात है। देखने में यह आता है कि जब एक किरायेदार बदली के कारण या और किसी वजह से मकान छोड़ता है और दूसरा आदमी जब उसको किराये पर लेना चाहता है तो मकान-मालिक उससे अधिक किराया तलब करते हैं और पहले के किराये के मुकाबले जो नया किराया उससे मांगते हैं वह बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। अब मकानमालिक अपने पुराने किराये को इस कानून के अनुसार एक रीजनेबुल हद तक तो बढ़ा सकते हैं लेकिन वह तो इतना बढ़ा देते हैं जिसका कि कोई अन्त ही नहीं रहता है। मकानमालिकों की अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति रहती है और यह आवश्यक है कि उनकी इस प्रवृत्ति पर सक्रिय रूप से अकुश लगाया जाय। इसके कारण किरायेदारों को बहुत परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना होता है।

दिल्ली रेंट कंट्रोल ऐक्ट, १९५८ में कुछ चेंजेज करने चाहियें लेकिन मैं समझती हूं कि यदि मूल ऐक्ट को सही रूप में अमल में लाया जाय तो भी बहुत कुछ कठिनाइयां सुलझ सकती हैं।

माननीय सदस्यों ने यहां पर बतलाया कि कारपोरेशन के जो अफसर या कर्मचारी लोग होते हैं वह मकानमालिकों से रिश्वत लेकर उनको अपने मकान तुड़वाने की इजाजत दे देते हैं और किरायेदारों को इस तरह से परेशान किया जाता है। अब जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो यह करप्शन तो हर एक आफिस में हो सकता है। रिश्वत लेने वाला जहां दोषी है वहां साथ ही मकानमालिक या किरायेदार यदि रिश्वत देता है तो वह भी करप्शन के दोषी हैं। इसलिये करप्शन को रोकने के लिये सबको मिल कर प्रयास करना पड़ेगा। सही तौर से इस कानून को लागू करना पड़ेगा। जब इस कानून का स्ट्रिक्ट ऐप्लीकेशन होगा और सही तरीके से इसको कार्य रूप में परिणित करेंगे तभी यह कठिनाइयां कम हो सकती हैं।

श्री ह० च० सोय : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने लाया गया है, उसका स्कोप बहुत सीमित है और सिर्फ डाक्टरों, वकीलों और इंजीनियरों के हितों की रक्षा के लिये ही माननीय सदस्य ने इसको पेश किया है। आज जरूरत इस बात की है कि सारी दिल्ली के संबंध में एक व्यापक कानून सदन के सामने लाया जाये। मैं यह सलाह दूंगा कि इस बिल के स्कोप को बढ़ाया जाये और चूंकि आज मकानों की कमी महसूस की जा रही है, इसलिये कम से कम इमर्जेंसी पीरियड तक के लिये लिविंग स्पेस को कंट्रोल किया जाये और यह निर्धारित किया जाये कि एक घर में कितने आदमी रहें।

हाल ही में कांस्टीट्यूशन हाउस में रहने वाले हम लोगों को कहा गया कि हम वह जगह खाली कर दें, क्योंकि हमारी फौज के अफसरों के लिये उसकी जरूरत है। अगर हमारी फौज के अफसरों के लिये जगह की आवश्यकता हो, तो कुछ क्वार्टरों को खाली करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिन लोगों को वे क्वार्टर दिये गये हैं, उनमें से एक दर्जन से ऊपर ऐसे लोग भी हैं, जो कि सरकारी अफसर नहीं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कई बरसों से वहां पर पड़े हुये हैं।

मेरा सुझाव है कि जो सरकारी मकान एलाट किये जाते हैं, उन के एलाटमेंट के प्रोसीड्यर के बारे में —इस विषय में कि वे किस को दिये जाते हैं, किस तरह से दिये जाते हैं—एक जांच होनी चाहिये।

इस बिल को पेश करने वाले माननीय सदस्य से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके स्कोप को बढ़ाना चाहिये और जो भी संशोधन वह लाये हैं, वह उनको प्रैस करें और उनको विदड्रा न करें।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में अपनी राय ज़ाहिर की है। मेरे विचार में इस बिल का मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात, जो मेरी समझ में नहीं आ रही है और जिसकी ओर कई माननीय सदस्यों ने आप का ध्यान दिलाया है, यह है कि सिर्फ तीन चार प्रोफ़ेशन्ज़ के लिए ही यह एग्जेम्प्शन क्यों ली जाये और सब के लिए एग्जेम्प्शन क्यों न हो। यह बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई एग्जेम्प्शन होनी चाहिये, तो वह सब के लिए होनी चाहिये। मैं मान सकता हूं कि वकील, डाक्टर और इंजीनियर जहां पर रिहायश करते हैं, उन के लिए यह सहूलियत होती है कि वहां पर वे अपना आफ़िस भी बना लें। यह प्राविज़न ठीक है और यह प्राविज़न होनी चाहिये। लेकिन इस के साथ ही बाकी जनता को भी वही सहूलियत मिलनी चाहिए।

[श्री हेमराज]

हम देखते हैं कि आम तौर पर मालिक-मकान किराया बढ़ाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ़ते रहते हैं और जब उनके पास कोई और तरीका नहीं होता है, तो वे कहते हैं कि हमारा मकान पुराना और वोसीदा हो गया है, इसलिये हम इस की मरम्मत कराना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा प्राविजन रखा है। उन्होंने बिल में यह व्यवस्था की है कि किसी मकान को खाली करने का हुक्म उसी सूरत में दिया जायगा, जब कि "उस मकान की हालत ऐसी होगी कि जिसको गिराना जरूरी हो अथवा दिल्ली अथवा नई दिल्ली नगरपालिका ने जिसको गिराने के आदेश दे दिए हों।" इस प्राविज़न का फ़ायदा यह होगा कि कोई भी मालिक-मकान अपने मकान को तब तक खाली नहीं करवा सकता, जब तक कि म्यूनिसिपल कार्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से नोटिस न मिल जाये। अगर उन की तरफ़ से नोटिस मिले, तो फिर मालिक-मकान अपने मकान को खाली कराने में हक-वजानिव होगा।

यह भी कहा गया है कि कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी अधिकारियों से मिल कर नोटिस दिलवा दे। उस के लिये इस प्राविज़न में यह कहा गया है कि टेनांट को भी मौका मिलना चाहिए कि वह उज्र कर सके और बता सके कि जो नोटिस दिया गया है, वह जायज़ है या नहीं। अगर वह नोटिस जायज़ नहीं है, तो मौका मिलने पर वह बता सकता है कि जो नोटिस इस्यू किया गया है, वह महज़ उस को निकालने के लिए किया गया है।

आम तौर पर यह देखा गया है कि जिस वक्त किसी किरायेदार को कोई मालिक-मकान निकालता है, तो वह मामूली सी मरम्मत कराता है और पूरा मकान नहीं बनवाता है। उस के बाद वह अपने पुराने किरायेदार को मकान देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि पहला किरायेदार एक ख़ास किराया दे रहा था और अगर किराया बढ़ाने की कोशिश की जाय, तो थोड़ा ही किराया बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन नये किरायेदार से वह बहुत ज्यादा रुपया ले सकता है। इस के अलावा दिल्ली में एक पगड़ी सिस्टम चलता है जिस के मातहत हज़ारों रुपये अन्दर ही अन्दर ले लिये जाते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बिल माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर, ने पेश किया है, उस का मकसद बहुत अच्छा है, इस लिये गवर्नमेंट को इस की अच्छी भावना को मंजर करते हुए इस की अच्छी बातों को मान लेना चाहिये। अगर वह पूरे बिल को नहीं मानना चाहती है, तो वह इस बिल की भावना को मन्जूर करते हुए कोई न कोई अपनी अमेंडमेंट लाए, ताकि किराय-दारों को सहूलियत मिल सके और उन को हर रोज तंग न किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : गृह-कार्य मंत्री की ओर से मैं इस विधेयक के विचार के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय महिला सदस्य ने बड़ी सावधानी से स्थिति का विश्लेषण करके मेरा काम आसान कर दिया है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य केवल तीन व्यवसायियों अर्थात् वकीलों, डाक्टरों तथा इंजी-नियरों तक सीमित है। इसलिये यह प्रश्न तो एक माननीय सस्दया ने ठीक ही उठाया कि विधेयक को केवल इन तीन वर्गों के लिये ही क्यों सीमित किया गया है। और इसीलिये यदि सरकार इस विधेयक के उद्देश्य को सिद्धान्ततः स्वीकार भी करले तो भी इस विधेयक को तो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी क्रियान्विति सीमित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक के द्वारा उपधारा १४ (ङ) में यह परिवर्तन करने की व्यवस्था है कि मकान मालिक भी अपने रहने के लिए मकान मालिक से पांच वर्ष के बाद ही मकान खाली करा सकेगा। हम जानते हैं कि संविधान में सम्पत्ति के मामले में कुछ मूलभूत अधिकारों को दिए जाने की व्यवस्था है। जिसके अनुसार आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप अपनी सम्पत्ति का उचित प्रतिबन्धों से पूर्णतया उपभोग करें। मैं नहीं समझता कि किसी मालिक को उसकी अपनी सम्पत्ति का उचित रूप में उपभोग करने से किस प्रकार रोका जा सकता है। ऐसा न्यायालय में कराने में सफल नहीं हो सकते हैं।

आप अपना मकान किराये पर दे सकते हैं परन्तु जब आपको उसकी जरूरत है और अधिकारी भी संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में आप अपने काम के लिए उसको किरायेदार से वापस ले रहे हैं तो आपको वह निश्चित रूप से वापस मिल जाना चाहिए।

विधेयक में बताया गया है कि यदि कोई किरायेदार पांच वर्षों से किराये के मकान में रहा हो और वहां पर कोई व्यवसाय करता हो तो मानना चाहिए कि वह मकान मालिक की अनुमति से ही रह रहा है और अपना व्यवसाय कर रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किरायेदार दस वर्ष से अधिक की अवधि तक रहता है और मकान मालिक को यह पता नहीं लग पाता कि वह उस मकान का उपयोग निवासस्थान के रूप में कर रहा है अथवा व्यवसाय के रूप में। इसलिये इन सभी बातों का निर्णय तथ्यों के आधार पर होना चाहिए और केवल एक अवधि तक अर्थात् पांच वर्षों तक रहने को मकान मालिक की अनमति नहीं माननी चाहिए।

विधेयक के अन्य उपबन्ध इसी उपबन्ध के सहायक उपबन्ध हैं।

इससे आगे यह उपबन्ध इस विधेयक में रखा गया है कि मकान को गिराने में एक प्रक्रिया बरती जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह भी अनावश्यक है क्योंकि अधिनियम में मूल उपबन्ध पर्याप्त है। मूल उपबन्ध यह है कि मकान को तभी गिराया जाना चाहिये जब तक मनुष्यों के रहने के काबिल न रह जाये। इसके स्थान पर यह रखना कि "मकान ऐसा हो गया हो कि जिसके गिरने का खतरा हो, को गिराया जाना चाहिए" बेकार है तथा उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा २० में यह भी दिया हुआ है कि "यदि किरायेदार चाहे तो ऐसे हेर फेर मकान में अपनी इच्छा से रह सकता है और कंट्रोलर इस बात को लिखित रूप में उससे ले सकता है। इसके अतिरिक्त मकान मालिक द्वारा मकान की मरम्मत किए जाने के बाद किरायेदार पुनः मकान में आ सकता है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह उपबन्ध भी अनावश्यक है।

अधिनियम थोड़े दिनों से लागू है और अभी तक ऐसा एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है कि अधिनियम के अधीन किरायेदार को पर्याप्त सुरक्षा न मिली हो। यदि सरकार के सामने इसके विपरीत मामले आयेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन कमियों को दूर किया जाये।

इन शब्दों से मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में दो धारायें हैं और दोनों ही धाराओं का मकसद अलग-अलग है।

[श्री नवल प्रभाकर]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि धारा १४ के संशोधन के बारे में जो मैं कह रहा हूं वह मैं कुछ थोड़े से व्यक्तियों के लिये कह रहा हूं। किन्तु जो धारा १४ है और जिसको माननीय मंत्री जी ने आपको पढ़ कर सुनाया है, उससे आपको स्पष्ट विदित हो गया होगा कि वह इसलिये लाई गई है कि कुछ लोग, अगर जिस काम के लिए उनको मकान दिया गया था, जिस शर्त पर उनको मकान दिया गया था, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। इसी लिये मैंने इस विधेयक में यह उल्लेख किया है कि एक वकील है, उसके कोई दुकान नहीं है, वह अपने मकान में रहता है, उसके पास उसके मुवक्किल लोग आ कर उससे मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं। इसी तरह से एक डाक्टर है। वह भी अपने मकान में लोगों से मिलता है। अब अगर एक मकान मालिक यह कहे कि जो वकील है उसके मुवक्किल मकान में क्यों आते हैं और वह उनसे क्यों मिलता है, इसलिये उससे मकान को खाली करवाया जाए, यह मैं समझता हू ठीक नहीं हैं। इसी तरह से एक डाक्टर है, कोई उससे सलाह लेने के लिए आता है, तो उसको यह कहा जाए कि यह यहां पर बैठ कर प्रैटिक्स कर रहा है, मैंने इसको यह मकान प्रेक्टिस करने के लिए नहीं दिया था। मैं समझता हूं कि यह भी सही नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस विधेयक का आशय हैं कि इस तरह की बातों को लेकर मकान मालिक कंट्रोलर के पास जाकर लोगों को मकान खाली करने के लिए मजबूर न कर सकें कि यह डाक्टर है, इसके पास लोग आते हैं और यह उनको सलाह देता है, या यह वकील है और इसके पास मुवक्किल आते हैं जिनको यह सलाह देता है। मैं समझता हूं मैंने जो संशोधन रखे हैं वे ठीक हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि जो पहला कानून है वह ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि उसमें कमी है। आप उस कानून को उठा कर देख लें। उसमें यह साफ व्यवस्था है कि मकान मालिक मकान को फिर से बनाने के लिये किरायेदार को निकाल सकता है। और मकान को फिर से बनाने के बाद उसको पांच साल तक पूरा अधिकार है कि वह चाहे जितना किराया ले। इस धारा के अन्तर्गत मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वह पांच साल तक चाहे जितना किराया ले सकता है और अगर उसके खिलाफ कोई किरायेदार कंट्रोलर के पास जाए तो उसमें कंट्रोलर भी बेबस है। यह जानते हुए भी इस किराएदार पर जुल्म हो रहा है, वह मकान मालिक का कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ने माननीय मंत्री जी के सामने ये दो धाराएं रखी थीं और उन को अपना मकसद बता दिया था।

जैसा मैंने पहले कहा, दिल्ली में यह एक बड़ी समस्या है। मेरा इरादा इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान खींचना था। और मैं समझता हूं कि मैंने यह विधेयक पेश कर के अपना यह कर्तव्य पूरा कर दिया है और मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार किराएदारों के प्रति सहानुभूति बरतेगी। मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है अधिक लोगों के हित के लिए कहा है। मैंने इस प्रकार अपना कर्तव्य पूरा किया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है।

श्री राम सेवक यादव : मैं अपनी बधाई वापस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ३ दिसम्बर, १९६२/१२ अग्रहायण, १८८४ (शक) के बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९६२

९ अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१६७७
दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५३ में प्रकाशित भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।	१६७९—८७,
विधेयक-पारित	१६९०—१७००
(१) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।	
(२) सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) ने प्रस्ताव किया है बहु एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	१६८७—९०
श्री स० मो० बनर्जी ने काश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित बातचीत के बारे में कथित समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया । प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	१७००
ग्यारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . .	१७००—०१
(१) समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२ **(धारा १५, ३० आदि का संशोधन)** (श्री प० ला० बारुपाल का)	
(२) आयकर संशोधन विधेयक, १९६२ **(धारा २ का संशोधन)** (श्री च० का० भट्टाचार्य का)	

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—अस्वीकृत . . . १७०१—०२

श्री दी० चं० शर्मा के संविधान (संशोधन) विधेयक (**अनुच्छेद २२६ का संशोधन**) पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। विचार करने के प्रस्ताव पर सभा में मतविभाजन हुआ, पक्ष में ५ ; विपक्ष में ८६; तथापि प्रस्ताव को लोक-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या १५७ के अधीन अस्वीकृत घोषित कर दिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापस लिये गये . . . १७०२—१८

श्री नवल प्रभाकर ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक (**धारा ४ और २० का संशोधन तथा नयी धारा ४८क का रखा जाना**) पर विचार किया जाय। उन्होंने चर्चा का उत्तर भी दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सोमवार २ दिसम्बर, १९६२/१२ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि . . . . . .

परिसीमन आयोग विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसका पारित किया जाना, तथा निम्नलिखित विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :

(१) उपहार कर (संशोधन) विधेयक

(२) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक

(३) श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक।

GMGIPND—LSIII—2416 (Ai) LSD—11-1-63—140

	पृष्ठ
परिसीमन आयोग विधेयक	१६९८–१७००
विचार करने का प्रस्ताव :	
श्री विभुधेन्द्र मिश्र	१६९८–९९
श्री स० मो० बनर्जी .	१६९९
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदो .	१६९९
श्री त्यागी	१६९९–१७००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	१७००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित—	
(१) समवाय (संशोधन) विधेयक (**धारा १५, ३० आदि का संशोधन**) [श्री प० ला० बारुपाल का] .	१७००
(२) आयकर (संशोधन) विधेयक (**धारा २ का संशोधन**) . . [श्री च० का० भट्टाचार्य का] . . .	१७०१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दो० चं० शर्मा का]—(अस्वीकृत हुआ) .	१७०१–०२
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री विभुधेन्द्र मिश्र	१७०१–१७०२
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—(धारा १४ से २० का संशोधन तथा नयी धारा ४८ का रखा जाना)—	
[श्री नवल प्रभाकर का]—वापिस लिया गया .	. १७०२,१७१७-१८
विचार करने का प्रस्ताव :	
श्री नवल प्रभाकर .	१७०२–०६
श्री सरज् पांडेय . . .	१७०६–०७
श्री यशपाल सिंह . .	१७०७–०८
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१७०८–१०
श्री राम सेवक यादव	१७१०–११
श्री कछवाया	१७११–१२
श्री बारवा कोटा	१७१२–१३
श्रीमती सरोजनी महिषी	१७१३–१५
श्री ह० चं० सौय	१७१५
श्री हेमराज	१७१५–१६
श्री हजर नवीस	१७१६–१७
दैनिक संक्षेपिका	१७१९–२०

P.L.S. 41. X. 18. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।